Saturday, 30 August, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

आठवाँ सत्र
Eigth Session

Rack No ... 57 (1) ...
Acc. No ... 8.12.67 ...
PARLIAMENT LIBRARY

Preservation Unit
4-8-92
Fumigated
On 31/84
Parliament Library

[खंड 32 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया | *Price* : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, शनिवार, 30 अगस्त, 1969/8 भाद्र 1891 (शक)

No. 29, Saturday, August 30, 1969/Bhadra 8, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ	PAGES
सभा का कार्य	Business of the House		1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table		—4
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha		4
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges		
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report		4
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances		4
(एक) छटा प्रतिवेदन	(i) Sixth Report		4
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence		4
विद्युत् चालित करघों पर रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध को लागू करने के बारे में याचिका	Petition *re.* Implementation of the ban on production of coloured sarees on power-looms		5
कपास मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Cotton Price Policy		5
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बैंक (संशोधन) विधेयक — पुरःस्थापित	International Monetary Fund and Bank (Amendment) Bill Introduced		6
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member		6
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee		6—8
करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill		8—10
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to select Committee		10
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विधेयक	Central Excises Bill		10
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee		10
नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव	Motion under Rule 388		12
नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक	Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Bill		13—15
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee		,,

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प — अस्वीकृत तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution Re. Disapproval of Banaras Hindu University (Amendment Ordinance—Negatived and Banaras Hindu University (Amendment) Bill	15
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as Passed by Rajya Sabha	15
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	15
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	16–17
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	17–18
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Sidgh Shastri	18–19
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V.K.R.V. Rao	19—21
श्री श्री चन्द्र गोयल	Shri Shri Chand Goyal	22
खण्ड 2 से 13 और 1	Clauses 2 to 13 and 1	26—36
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr.V.K.R.V. Rao	36—39
विदेश विवाह विधेयक	Foreign Marriage Bill	39–40
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	,,
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramiah	39–40
खण्ड 2 से 30 और 1	Clauses 2 to 30 and 1	39–40
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	39–40
बिहार राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प तथा बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Statutory Resolution *re.* Proclamation in relation to the State of Bihar and Bihar State Legislature (Delegation of Powers) Bill	40
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider as passed by Rajya Sabha	40
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	40–41
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	41–42
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ram Shekhar Prasad Singh	42
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	42–43

श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	43
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	43-44
श्री यमुना प्रसाद मण्डल	Shri Yamuna Prasad Mandal	44–45
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	45–46
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	46
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	46
श्री वि० प्र० मण्डल	Shri B. P. Mandal	46–47
श्री सीता राम केसरी	Shri Sita Ram Kesri	47
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	47
डा० सूर्य प्रकाश पुरी	Dr. Surya Prakash Puri	47
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	47
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	47–48
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	49
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	49–50
बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति तथा राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के बारे में प्रस्ताव	Motion *re.* Situation caused by floods and droughts and formation of national grids	50—53
श्री हेम बरूआ	Shri Hem Barua	50
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	53
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	—
श्री मीठालाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	53
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	54
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	55
श्री मु० अ० खां	Shri M. A. Khan	55
चीनी पर से नियंत्रण हटाने के बारे में 28 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 784 dated 28th August, 1969 *re.* Decontrol of Sugar.	54

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 30 अगस्त, 1969/8 भाद्र, 1891 (शक)
Saturday, August 30, 1969/*Bhadra* 8, 1891 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr, Speaker in the Chair]

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : During the last session I had tabled a motion regarding the subversive activities of the Naxalites with the aid of foreign money. It had been postponed for this session. I have been reminding about it every Friday. In the list of Business for yesterday, my motion was the first item to be taken up after discussion on the Government Bill. But in the list of Business for today it has been listed at the bottom. I want to know as to who is responsible for making such a change in the list of Business—whether your secretariat has made this change or the Government have done so ?

Mr. Speaker : The Government have done so.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : We wanted that discussion on sugarcane and floods should be given priority over Shri Prakash Vir's Motion because the Government is going to announce its policy in regard to sugarcane. At the same time we also wish that his Motion should also be taken up.

Mr. Speaker : We shall try to take up all the items. The House can be extended.

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): सारी कठिनाई समय की है। हम बहुत उत्सुक हैं कि श्री प्रकाशवीर के प्रस्ताव के लिए भी समय निकल आए। बाढ़ सम्बन्धी संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिये उसे प्राथमिकता दी गई है। म माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उनके प्रस्ताव को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह की कार्यसूची में शामिल कर लिया जायेगा।

आज की कार्यसूची काफी लम्बी है और सभी मदों पर विचार नहीं हो सकेगा। हमें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक को मध्याह्न तक पूरा कर लेना चाहिये और मध्याह्न पश्चात् बिहार सम्बन्धी संकल्प को ले लेना चाहिये। इसके बाद तीन विधेयकों को संयुक्त समितियों को सौंपने के प्रस्ताव बिना चर्चा के पास कर दिये जायेंगे क्योंकि विरोधी सदस्य इसके लिये राजी हो गये हैं। इसके बाद हम बाढ़ सम्बन्धी संकल्प को ले सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेख

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के वर्ष 1966–67 के लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—1922/69]**

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसकी समीक्षा

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, के 10 जनबरी, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, का 10 जनवरी, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—1923/69]**

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 28वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2012 और जी० एस० आर० 2013 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 29वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2014 और जी० एस० आर० 2015 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 30वां संशोधन नियमों 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2016 और जी० एस० आर० 2017 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 32वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2018 और जी० एस० आर० 2019 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 33वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2020 और जी० एस० आर० 2021 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 31वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के पश्चात् भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2022 और जी० एस० आर० 2023 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 34वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2024 और जी० एस० आर० 2025 में प्रकाशित हुए थे

(आठ) दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2032 जिसमें दिनांक 28 जून, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1547 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—1924/69]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 2026 तथा जी० एस० आर० 2027 ।

(दो) दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 2028 तथा जी० एस० आर० 2029 ।

(तीन) दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 2030 तथा जी० एस० आर० 2031 **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—1925/69]**

चीनी (नियन्त्रण) संशोधन आदेश

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन, दिनांक 6 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1915 में प्रकाशित चीनी (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1969 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1926/69]**।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

The Deputy Minister in the Ministry of floreign Trade and Supply (Shri Choudhary Ram Sewak) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Cotton Control (Second Amendment) Order, 1969, published in Notification Nos. S.O. 3149 and S.O. 3150 in Gazette of India dated the 9th August, 1969 under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See No. LT-1927/69*]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा 26 अगस्त, 1969 को पारित किये गये विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1969 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

आठवां प्रतिवेदन

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं विशेषाधिकार समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

छठा प्रतिवेदन

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : I beg to present the Sixth Report of the Committee on Government Assurances.

साक्ष्य

Shri Maharaj Singh Bharati : I beg to lay on the Table a copy of the Evidence tendered before the Committee on Government Assurances.

विद्युत चालित करघों पर रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध को लागू करने के बारे में याचिका

PETITION *RE.* IMPLEMENTATION OF THE BAN ON PRODUCTION OF COLOURED SAREES ON POWERLOOMS

Shri N. R. Deoghare (Nagpur) : I beg to present a petition signed by Shri K. P. Anantrao, President of Kasergode Weavers Cooperative P. and S. Society Limited, Kasergode (Kerala) and 33,600 others regarding implementation of the ban on production of coloured sarees on powerlooms.

कपास मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* COTTON PRICE POLICY

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं 1969-70 कपास वर्ष के लिये, जो 1 सितम्बर से आरम्भ होगा, कपास मूल्य नीति के बारे में सरकार द्वारा किये गये निर्णयों पर एक वक्तव्य देने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है 1 सितम्बर, 1967 से कपास मूल्यों पर से कानूनी नियंत्रण हटा दिये गये थे । 1967-68 और 1968-69 में ऋणों के विनियमन तथा स्टाक नियंत्रणों तथा हाट प्रणालियों द्वारा कपास के मूल्यों पर प्रभाव डालने का प्रयास किया गया था । उत्पादक को न्यूनतम लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये प्रत्येक वर्ष समर्थन मूल्यों की घोषणा की गई थी और यह भी आश्वासन दिया गया था कि सरकार समर्थन मूल्यों पर कपास की कितनी भी मात्रा खरीदने के लिये तैयार है। किन्तु कपास के मूल्य समर्थन मूल्य से काफी ऊंचे बने रहे और समर्थन मूल्य पर कपास खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी । सब मिलाकर पिछले दो वर्षों में हमारी नीति काफी सफल रही ।

1969-70 के लिये भी इसी नीति को जारी रखने का निर्णय किया गया है। जैसाकि इस समय है, कपास के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा । कृषि मूल्य आयोग की सलाह से 1969-70 के लिये समर्थन मूल्य उसी हिसाब से निर्धारित किये गये हैं जिस तरह से 1968-69 के लिये निर्धारित किये गये थे। कपास के वास्तविक मूल्य बाजार स्थिति पर निर्भर करते हैं और यदि ये बहुत अधिक गिर जायेंगे तो सरकार समर्थन मूल्य पर कपास खरीदना शुरू कर देगी ।

कपास का आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरण के माध्यम से कराने के प्रश्न पर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए विचार किया गया था । ऐसी व्यवस्था से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ढांचा तैयार करना होगा जिसमें आवश्यक कौशल को ठीक ढंग से संगठित किया जा सके। इसमें कुछ समय लगेगा जब कि सूडान तथा संयुक्त अरब गणराज्य से उन देशों के साथ हुए करारों के अनुसरण में कपास का आयात करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है । इसलिये 1969-70 में 1968-69 के आधार पर ही कपास का आयात करने का निर्णय किया गया है । इस वर्ष 1970-71 में कपास के आयात की नई व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिये प्रयत्न किया जायेगा । आशा है कि कपास के आयात के लिये जो सरकारी अभिकरण स्थापित किया जायेगा वह आयातित तथा देसी कपास के लिये रक्षित भण्डार अभिकरण का भी काम करेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बैंक (संशोधन) विधेयक

INTERNATIONAL MONETARY FUND AND BANK (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बैंक अधिनियम, 1945 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I oppose this Bill on the introduction stage. Special drawing rights are going to be conferred by the International Monetary Fund to find a way out for countries confronted with problems of foreign reserves. Particularly this arrangement can be beneficial for underdeveloped countries. But the World Bank has increased the bank rate by 1 per cent. Has the Government sought any clarification from them as to why the rate has been increased ? In the absence of any such clarification, Government should not be allowed to proceed with this Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बैंक अधिनियम, 1945 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्रीमती शारदा मकुर्जी (रतनगिरि) : मैं नियम 357 के अन्तर्गत कल राज्य सभा में श्री भूपेश गुप्त द्वारा लगाए गये आरोपों के बारे में वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहती हूं । तथ्य ये हैं ।

मेरे पति की, जो वायु सेनापति थे, नवम्बर 1960 में मृत्यु हो गई थी ।

जनवरी, 1961 में मैंने अपने पिता, स्वर्गीय श्री प्रताप पंडित, तथा भाईयों, श्री गोकल पंडित और श्री वसन्त पंडित, के साथ अपने परिवार की फर्म वैस्टर्न इंडिया टेनरीज़ लिमिटेड में, जो लगभग 50 वर्ष से वजूद में है, काम करना शुरू कर दिया था। 1961 के आरम्भ में हमने भारत सरकार को फास्फोरिक एसिड तथा औद्योगिक फास्फेट बनाने के लिये औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र भेजा। आवेदन पत्र में मेरा तथा मेरे भाई का नाम था। मेरे भाई श्री गोकल पंडित अर्हता प्राप्त रासायनिक इंजीनियर हैं । उन्होंने मेरा नाम इसलिये ऊपर लिखा था क्योंकि उनका ख्याल था कि मुझे जीवन में नई रुचि की आवश्यकता थी ताकि मैं अपने भारी दु:ख को भूल सकूं । इसलिए मुझ में आत्मविश्वास पैदा करने के लिये उन्होंने मेरा नाम ऊपर लिखा था ।

1961 में मैं संसद् की सदस्या नहीं थी और न ही मेरा ऐसा इरादा था। 1961 में 1100 मीटरी टन फास्फोरिक एसिड की उत्पादन क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया था । इस सम्बन्ध में हमारे तकनीकी सलाहकार ब्रिटेन के मैसर्स एल्ब्राइट एण्ड विल्सन लिमिटेड थे जोकि

एक विश्व विख्यात फर्म है। उनकी राय में इतनी कम क्षमता वाली परियोजना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं थी। परन्तु हमारे प्रयत्न सफल हुए जबकि तीन वर्ष के बाद भारत सरकार 17,500 मीटरी टन फास्फोरिक एसिड की उत्पादन क्षमता का लाइसेंस देने के लिये राजी हो गई। भारत सरकार ने फास्फोरिक एसिड के मुख्य उत्पाद सोडियम/ त्रीपोलीफास्फेट के निर्माण की भी स्वीकृति दे दी थी। इस परियोजना के लाभप्रद सिद्ध होने के लिये यह जरूरी था कि सल्फ्यूरिक एसिड बराबर मिलता रहे और फास्फेटिक खाद बनाने के लिये कुछ फास्फोरिक एसिड बेचा जाता रहे। इन कारणों से तथा तकनीकी जानकारी और इतनी भारी पूंजी जुटाने के लिये मेरे परिवार ने यह निर्णय किया कि मैसर्स एल्ब्राइट एण्ड विल्सन लिमिटेड तथा मैसर्स धर्मसी मोरारजी कैमिकल कम्पनी लिमिटेड के सहयोग से एक संयुक्त परियोजना स्थापित की जाये।

आखिर 1965 में एल्ब्राइट मोरारजी एण्ड पंडित लिमिटेड के नाम से बम्बई के निकट अम्बरनाथ में एक एकक स्थापित किया गया और नया औद्योगिक लाइसेंस इस कम्पनी के नाम कर दिया गया। इस एकक में 1967 में उत्पादन आरम्भ हो गया। यह स्पष्ट है कि आवेदन पत्र की मूल तिथि तथा वास्तविक उत्पादन तिथि में 6 वर्ष का अन्तर था।

मेरा परिवार, पंडित बन्धु, तथा उनके सहयोगी, मैसर्स धर्मसी मोरारजी कैमिकल कम्पनी लिमिटेड इस नई कम्पनी के संस्थापक थे और उनका इस समय मैसर्स एल्ब्राइट एण्ड विल्सन लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कम्पनी के निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व है। और इस कम्पनी का प्रबन्ध सीधे निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। नई कम्पनी को लाइसेंस बिना किसी आर्थिक प्रतिफल के, तथा भारत सरकार की स्वीकृति से हस्तांतरित किया गया था। इस नई कम्पनी की स्थापना से 1966 तक मैं इसकी निदेशक रही। मैं अपने संसदीय तथा सार्वजनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण कम्पनी के कार्य की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकती थी, इसलिये मैंने अपने छोटे भाई श्री बसन्त पंडित के पक्ष में निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया।

श्री भूपेश गुप्त के निम्नलिखित आरोप बिल्कुल निराधार तथा निरर्थक हैं :—

(1) कि मैं या मेरे भाई, श्री पंडित, लाइसेंस प्राप्त कराने तथा बेचने का धन्धा करते हैं।

(2) कि हमने उक्त कम्पनी को फास्फोरिक एसिड का लाइसेंस 10 लाख रुपये या किसी अन्य प्रतिफल के बदले में हस्तांतरित किया था।

(3) कि मैंने "न्यू एज" के सम्पादक के रूप में उनको लिखे पत्र में तथ्यों को जानबूझ कर गलत ढंग से पेश किया था कि मैं औद्योगिक लाइसेंस का व्यापार नहीं करती।

औद्योगिक लाइसेंसों को आर्थिक प्रतिफल या किसी अन्य प्रतिफल के बदले में बेचने की बात तो दूर रही, मैंने उपरोक्त लाइसेंस के अलावा किसी अन्य औद्योगिक लाइसेंस के लिये न ही कोई आवेदनपत्र दिया और न ही कोई लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश की है।

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

अपने सहयोगियों पर अपवचनात्मक हमले करने की प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ सकी हूं। इस तरह की प्रवृत्ति से खतरनाक तथा अस्वस्थ परम्पराएं जन्म ले लेंगी जिससे संसद सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा और उनके लिये अपने मतदाताओं के प्रतिनिधियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना कठिन हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यह होगा कि दोनों सभाओं के सदस्य एक दूसरे पर आक्षेप न लगाएं। दूसरे सदन के सदस्यों द्वारा इस सदन के सदस्यों तथा दूसरे सदन के सदस्यों की आलोचना किया जाना बहुत ही अस्वस्थ परम्परा होगी। हमें कुछ संसदीय परम्पराओं का पालन करना ही चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने आज समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति भारतीय क्रान्ति दल के नेता श्री चरण सिंह सहित विरोधी दलों के नेताओं से मिले ह और कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से प्रतिवेदन भी मांगा है। मेरे विचार में गृह-कार्य मंत्री को अब उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका पत्र मिल गया है। मैंने उसे गृह-कार्य मंत्री को भेज दिया है।

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : नामों की सूची में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। आपकी अनुमति से मैं दो और नाम इस सूची में जोड़ रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, सम्पत्ति-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अति-कर अधिनियम, 1964 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 28 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री जहानुद्दीन अहमद
(2) सरदार बूटा सिंह
(3) श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी
(4) श्री जे० के० चौधरी
(5) श्री एस० आर० दामानी
(6) श्री नारायण दाण्डेकर
(7) श्री पट्टियम गोपालन
(8) श्री कंवर लाल गुप्त
(9) श्री वी० एन० कथम
(10) श्री वी० कृष्णमूर्ति
(11) श्री बृज भूषण लाल

(12) श्री पी० गोविन्द मेनन
(13) हिज हाईनेस यशवन्त राव एम० मुकने
(14) श्री एस० बी० पाटिल
(15) श्री शिव चंडिका प्रसाद
(16) श्री आर० दशरथ रामरेड्डी
(17) श्री विश्वनाथ राय
(18) श्री एन० के० पी० साल्वे
(19) श्री न० कु० सांघी
(20) श्री योगेन्द्र शर्मा
(21) श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे
(22) श्री रा० कृ० सिंह
(23) श्री नन्दकुमार सोमानी
(24) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
(25) श्री राम सेवक यादव
(26) श्री प्र० चं० सेठी
(27) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही; और
(28) श्री यशवन्त सिंह कुशवाह

इस समिति को यह अनुदेश भी दिया जाये कि वह अगले सत्र में प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम 1961, सम्पत्ति-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अति-कर अधिनियम, 1964 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिस में 28 सदस्य हों, अर्थात्:-

(1) श्री जहानुद्दीन अहमद
(2) सरदार बूटा सिंह
(3) श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी
(4) श्री जे० के० चौधरी
(5) श्री एस० आर० दामानी
(6) श्री नारायण दाण्डेकर
(7) श्री पटिट्यम गोपालन
(8) श्री कंवर लाल गुप्त
(9) श्री वी० एन० कथम

(10) श्री वी० कृष्णमूर्ति
(11) श्री बृज भूषण लाल
(12) श्री पी० गोविन्द मेनन
(13) हिज हाइनेस यशवन्तराव एम० मुकने
(14) श्री एस० बी० पाटिल
(15) श्री शिव चंडिका प्रसाद
(16) श्री आर० दशरथ रामरेड्डी
(17) श्री विश्वनाथ राय
(18) श्री एन० के० पी० साल्वे
(19) श्री एन० के० पी० सांधी
(20) श्री योगेन्द्र शर्मा
(21) श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे
(22) श्री रा० कृ० सिंह
(23) श्री नन्दकुमार सोमानी
(24) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम
(25) श्री राम सेवक यादव
(26) श्री प्र० चं० सेठी
(27) श्री चिन्तामणी पाणिग्राही; और
(28) श्रीयशवन्त सिंह कुशवाह

इस समिति को यह अनुदेश भी दिया जाय कि वह अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विधेयक

CENTRAL EXCISES BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सठी) : आप की अनुमति से मैं यहां भी नामों की सूची में दो परिवर्तन करना चाहता हूं। श्री कंवरलाल गुप्त तथा श्री यज्ञदत्त शर्मा के स्थान पर क्रमश: श्री ओम प्रकाश त्यागी तथा बंश नारायण सिंह के नाम रखे जायें।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 24 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री बलि राम भगत
(2) श्री ओंकार लाल बोहरा
(3) श्री सी० के० चक्रपाणि

(4) श्री बाल्मीकी चौधरी
(5) श्री सी० सी० देसाई
(6) श्री पी० के० घोष
(7) श्री लखन लाल गुप्त
(8) श्री जैड० एम० काहानडोल
(9) श्री लताफत अली खां
(10) श्री एस० एम० कृष्ण
(11) श्री महाराज सिंह
(12) श्री एफ० एच० मोहसिन
(13) श्री जे० एच० पटेल
(14) श्री एस० डी० पाटिल
(15) श्री ना० गो० रंगा
(16) श्रीमती उमा राय
(17) श्री इरास्मो डि० सेक्वीरा
(18) श्री ईरा सेझियान
(19) श्री प्रकाशवीर शास्त्री
(20) श्री वंश नारायण सिंह
(21) श्री एस० एम० सोलंकी
(22) श्री को० सूर्यनारायण
(23) श्री ओम प्रकाश त्यागी; और
(24) श्री प्र० चं० सेठी

और उसे अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनदेश दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 24 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री ब० रा० भगत
(2) श्री ओंकार लाल बोहरा
(3) श्री सी० के० चक्रपाणि
(4) श्री वाल्मीकी चौधरी
(5) श्री चं० चु० देसाई
(6) श्री पी० के० घोष
(7) श्री लखन लाल गुप्त
(8) श्री जेड० एम० काहानडोल
(9) श्री लताफ़त अली खां
(10) श्री एस० एम० कृष्ण
(11) श्री महाराज सिंह

(12) श्री एफ० एच० मोहसिन
(13) श्री जे० एच० पटेल
(14) श्री एस० डी० पाटिल
(15) श्री रंगा
(16) श्रीमती उमाराथ
(17) श्री सेक्वीरा
(18) श्री सेझियान
(19) श्री प्रकाशवीर शास्त्री
(20) श्री वंश नारायण सिंह
(21) श्री सोमचन्द सोलंकी
(22) श्री को० सूर्यनारायण
(23) श्री ओम प्रकाश त्यागी
(24) श्री प्र० चं० सेठी

और उसे अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

नियम ३८८ के अन्तर्गत प्रस्ताव

MOTION UNDER RULE 388

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू किया जाना निलम्बित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1969 को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू किया जाना निलम्बित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) विधेयक

COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL'S (DUTIES, POWERS AND CONDITIONS OF SERVICE) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं यहां भी आप की अनुमति से नामों की सूची में परिवर्तन करना चाहता हूं । श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा श्री सम्बन्धन के स्थान पर सर्वश्री सन्त बख्श सिंह तथा एस० कण्डप्पन के नाम रखे गये हैं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तें निर्धारित करने के लिए तथा उनके कर्त्तव्य तथा शक्तियां नियत करने के लिए और तत्संबन्धी अथवा अनुषंगी विषयों का विधेयक दोनों सभाओं की 30 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के 20 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री सोनू भाऊ दागडू बसवन्त
(2) श्रीमती ज्योत्सना चंदा
(3) श्री दिनकर देसाई
(4) श्री नागेश्वर द्विवेदी
(5) श्री जे० एम० इमाम
(6) श्री एस० एम० जोशी
(7) श्री एस० कण्डप्पन
(8) श्री एस० एस० कोठारी
(9) श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
(10) श्री धुलेश्वर मीना
(11) श्री आनन्द नारायण मुल्ला
(12) श्री पी० के० वासुदेवन नायर
(13) श्री देवकीनन्दन पाटोदिया
(14) चौधरी रणधीर सिंह
(15) श्री एस० एम० सिद्दय्या
(16) श्री एस० एन० शुक्ल
(17) श्री संत बख्श सिंह
(18) श्री आर० उमानाथ
(19) श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव; और
(20) श्री प्र० चं० सेठी

और राज्य सभा के 10 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तें निर्धारित करने के लिए तथा उनके कर्त्तव्य तथा शक्तियां नियत करने के लिए और तत्सम्बन्धी अथवा अनुषंगी विषयों का विधेयक दोनों सभाओं की 30 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा के 20 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री सोनू भाऊ दागडू बसवन्त
(2) श्रीमती ज्योत्सना चंदा
(3) श्री दिनकर देसाई
(4) श्री नागेश्वर द्विवेदी
(5) श्री जे० एम० इमाम
(6) श्री एस० एम० जोशी
(7) श्री एस० कण्डप्पन
(8) श्री एस० एस० कोठारी
(9) श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई
(10) श्री धुलेश्वर मीना
(11) श्री आनन्द नारायण मुल्ला
(12) श्री पी० के० वासुदेवन नायर
(13) श्री देवकीनन्दन पाटोदिया
(14) चौधरी रणधीर सिंह
(15) श्री एस० एम० सिद्दय्या
(16) श्री एस० एन० शुक्ल
(17) श्री संत बख्श सिंह
(1)) श्री आर० उमानाथ
(19) श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव; और
(20) श्री प्र० चं० सेठी

और राज्य सभा के 10 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प अस्वीकृत तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE—NEGATIVED. AND BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद): पिछली बार कार्य मंत्रणा समिति ने आज के दिन को प्रस्तावों के लिए रक्षित रखने का निर्णय किया था ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस को शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करेंगे ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के लिए डेढ़ घंटे का समय शेष है । आप बाढ़ तथा सूखे की स्थिति सम्बन्धी प्रस्तावों पर कब चर्चा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जितने समय के लिए आप अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : 20 मिनट । हम इसको मध्याह्न भोजन से पूर्व समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The Government has not yet taken any decision in regard to the action to be taken on other things mentioned in the report.

The system of electing the representatives in the Banaras Hindu University has been done away with. The Government will now make nominations. This is not a healthy practice in a democracy. If this tendency continues one day the system of elections in India will vanish and some one may assume dictatorial powers. It is, therefore, highly undemocratic to provide for a nominated Executive Council.

The Government have not taken any action against the Vice-chancellor who is responsible for creating this unfortunate situation. Police should not be posted in the University campus during the visits of ministers. If at all the police is to be posted in the University campus for the protection of the ministers or other dignatories then it should be done with the prior permission of the Vice-chancellor.

The few students who create trouble in the University campus can be converted into peaceful students by pursuance. The Vice-chancellor should develop the relationship of a son and father with the students.

Political parties should not be allowed to operate in the University campus. These parties are responsible for the present situation there as they incite the students.

I would request the hon. Minister not to press for this Bill and instead bring some comprehensive Bill.

Shri Janeswar Mishra (Phulpur) : This Bill in itself is not comprehensive enough to overcome the difficulties and drawbacks in the University. The hon. Minister has himself admitted that this Bill will not provide a permanent solution to all the difficulties in the Banaras Hindu University. He has also stated that a more comprehensive Bill will be brought later on. This Bill has sought to make some administrative changes. In my opinion these changes in the terms and conditions of the appointment of the vice-chancellor and the executive council will not solve the problem.

It is most undemocratic and unjustified to provide for the nominated executives council and court. I would request that students should be given representation in these bodies so that they also have the sense of participation.

Some provision should be made to provide for consultation amongst the vice-chancellor and representatives of the students and their parents to ease the prevailing tension. The decisions arrived at after such consultations should be implemented. Vice-Chancellor, Shri Joshi, who has committed several irregularities in the matter of appointments and has adopted an attitude of discrimination towards the students should be penalised.

Generally the old and retired high court judges and professors are appointed as vice-chancellors. These old persons are unable to understand the difficulties of young students. Young persons should be appointed to these posts so that they can understand the aspirations and difficulties of the students. Such students who break discipline for wider good should be dealt with sympathetically. The three students who were rusticated from the university should be re-admitted.

I welcome the suggestion of Shri Bibhuti Mishra, if he can prevail upon his party ministers not to interfere in the appointment of the Vice-Chancellors and leave this matter entirely to the teachers, deans and the principals.

It is learnt that the Rashtriya Swayam Sewak Sangh has constructed two rooms in the Banaras Hindu University. The Gajendragadkar Committee has also recorded it in its report. The R.S.S. is an organisation which is spreading the contagion of hatred in the name of religion and thus driving a wedge between the individuals. Hence, this and the Majilis-e-Mashawrat as well should be banned.

It is lamentable that the *sanctum sanctora* of the universities should be named after certain communities. This is the reason why not even two percent of the students of Banaras Hindu University are Muslims or Harijans. This heresy should be immediately done away with.

The students of this University coming from the backward areas of Eastern Uttar Pradesh and Bihar suffer from a sense of injustice. Sometimes those lagging behind under the old system become the pioneers of the new system. They want to bring some changes and I hope the hon. Minister will give them all possible facilities to do so.

[Shri Janeswar Mishra]

At present tension is prevailing there between the University authorities and the students. I suggest that a committee comprising the representatives of the teachers, students, guardians and the Vice-Chancellor should be set up and all concerned should give an undertaking to abide by the decisions of this committee.

I also suggest that Government should give an undertaking to the students that as soon as they leave the university after passing the examination they will be provided with a job. As soon as this is done the mismanagement in the field of education will vanish.

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : The events that have taken place in the Banaras Hindu University recently are as unfortunate as they are shameful and would have shocked the late revered Malaviya more than anybody else, had he been alive today. This University was a miniature India in that it attracted students from all parts of the country. The teachers and the students of this university have played a prominent role in the national struggle.

During the last few days the situation in this University took a turn for the worse because of occasional clashes between the teachers and the students. Unfortunately, the teachers divided into two factions and they exploited the students for their mean ends culminating in the Vice-Chancellor's falling a prey to this. The conduct of the Vice-Chancerllor makes a dismal reading in the Gajendragadkar Commission Report. This led to the deteriorating condition and ultimately to the closure of the university.

The root cause of all these troubles lies in naming the universities after the names of the communities, the castes and the religions. It is highly deplorable that the educational institutions should have been given such provoking appellations. It is said that the Government after having brought a measure in this regard had withdrawn the same. This practice of naming the universities and the colleges after the castes and the communities militates against the concept of democracy and secularism. The opening of a temple in the Banaras Hindu University is totally indefensible and inexplicable. If we want to take the country towards a better future, it is necessary that such tendencies in the universities should be put an end to.

This University has now become the citadel of R.S.S. whose working is expressly against democracy and is bent upon defeating our aims and objectives. The R.S.S. congregations within the University campus should be summarily stopped. The building which is in their occupation should be got vacated immediately.

Now, the University is scheduled to be opened on the 1st of September, but the appointment of the Vice-Chancellor has not so far been made. There is mutual distrust among the teachers and the students and unless the Vice-Chancellor is appointed, confidence cannot be restored in their hearts and I fear the fresh eruption of violence might necessitate the closure of the university again.

An eminent educationist should be immediately appointed as the Vice-Chancellor of this strife-torn University so that confidence may be engendered among the students and the teachers and the University may live upto its ancient traditions.

Over the years appointments have been made in the university on factional basis and merit and academic records were thrown to the winds. This should be enquired into. Government should give an assurance that henceforth merit shall be the sole criterion. The Executive and the Academic Council should be reconstituted and the persons who indulged in factionalism

and vitiated the atmosphere of the University should not be placed on these bodies. Shri Joshi had prepared a list of 500-700 students saying that they should be rusticated. This should not be done otherwise it will spread a fresh wave of dissatisfaction and resentment among the students and a new agitation will be on the threshold.

Students should be given representation in the Academic Council and also in the Executive so that they may have a sense of participation in the affairs of the University. The new generation has its own ideology, vision and principles and they should be given opportunities to give vent to their pent up feelings and not subjected to the bludgeon of discipline too often.

This University is also housing a Technical Institute which has been given some autonomous rights within the framework of the University. But for the Court order this institute would have been liquidated by now by the factional activities there. Government should take steps to safeguard the interests of this Institute. The recommendation of the Gajendragadkar Commission to convert the University into a post-graduate Centre should not be implemented. This University attracts some 12000 such students who cannot afford to go to distant places. In case this recommendation is implemented, this should be made applicable to all other Central Universities.

Shri Mahant Digvijay Nath (Gorakhpur) : I have tabled an amendment. I have been requesting you for so many days to give me an opportunity to speak.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : It is matter of great sorrow for all of us that the tree of the Banaras Hindu University which during the days of foreign domination had fulfilled our hopes and aspirations should now be in a state of decay and languishment. After going through the entire report of the Gajendragadkar Commission the irresistible conclusion is that the students there are exploited by the political parties for their shallow political ends. The fact is that the Vice-Chancellor Shri Joshi, taking benefit from the situation prevailing there, entangled and aligned himself with certain factions. If we want to retrieve the position of the Banaras Hindu University, all political parties should resolve that they would not encroach on the University camps nor interfere in the University affairs.

The real battle there is of the political parties which is being given political colouring. The death of a student Shri Maqbool is attributed to communal motives. But this is not a fact as is borne out by the findings of the Commission which says :

> "From the evidence before us, we are satisfied that the assault on Maqbool had nothing to do with the community or religion of the victim."

I would urge upon all the political parties to have an introspection and see to themselves what role they have hitherto played.

Government will have to take a firm decision to ban the membership of the students union to such students as have connections with the political parties or have failed for two consecutive years.

The recommendation of the Gajendragadkar Commission that barring the post-graduate, technical and professional colleges under the university all other colleges should be closed, should not be implemented as it is damaging to the very ideals on which the edifice of the University stands.

Sometimes, under the shelter of maintaining an all-India image of the University, uncalled for criticism is made of Hindi. This point was made by Shri Kandappan and I want him to realise that a university has to cater more to the needs of the students coming from the ad-

joining areas, who in this case being from Hindi-speaking areas, and as such the interest of these students cannot be thrown overboard.

While introducing the Bill the Education Minister had given certain assurances. I hope, he will not recline from them, and fulfil all those assurances. Now the immediate question before the hon. Minister is that of the appointment of the Vice-Chancellor. Unless a suitable person is appointed to this post, he will not be able to stem the rot that has set in in the Universtiy. For the proper functioning of the University, it is essential that law and order is restored on the University campus and casteism etc. are extirpated for ever.

डा० वी० के० आर० वी० राव : कुछ गलतफहमियां हैं जिनको मैं दूर करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मैंने चुनाव का सिद्धान्त क्यों त्याग दिया है और यह कि नामनिर्देशित कार्यपालिका और कोर्ट क्यों कर रखी जा सकती हैं। गजेन्द्रगडकर आयोग ने इसीलिये यह सिफारिश दी है कि कार्यपालिका और कोर्ट नामनिर्देशित होने चाहियें क्योंकि इस समय वहां वातावरण ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अन्तर्ग्रस्त है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामले में भी ऐसा ही किया गया था। आयोग के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि ये नामनिर्देशित निकाय किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहने चाहियें। मैं आश्वासन देता हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के लिये मैं शीघ्र ही एक व्यापक विधान लाने का प्रयत्न करूंगा। इन सब दीर्घकालीन सिफारिशों पर गौर से विचार करने की आवश्यकता है। मैं उस समिति के प्रतिवेदन की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध की जांच करने के लिये नियुक्त की हुई है।

इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे जीवन में जहां भी कार्य करने का अवसर मिला अथवा जो कार्य मुझे सौंपा गया उसे मैंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए पूरी निष्ठा, ईमानदारी तथा अपनी पूरी शक्ति के साथ किया और यह बात छिपी हुई नहीं है, हर कोई व्यक्ति मेरे जीवन का इतिहास तथा रिकार्ड देख सकता है। मुझे मंत्री पद पर आसीन होकर कोई विशेष कीर्ति नहीं मिली है। यदि सदस्य महोदय वास्तव में यह समझते हैं कि मैं अपने पद पर अच्छा कार्य नहीं कर रहा हूं और मुझे उस पर नहीं रहना चाहिए, तो मैं पद-त्याग करने के लिये तैयार हूं। मैं इस पद पर जो भी कार्य कर रहा हूं वह देश के लिये कर रहा हूं और देश का महत्व है यद्यपि मुझे यहां पर पहले की अपेक्षा दूना काम करना पड़ता है, फिर भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं चाहता हूं कि मुझे अपने अनुभव, ज्ञान तथा निष्ठा से देश की जितनी सेवा हो सकती है, करनी चाहिए।

जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, नया बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम चुनावों पर आधारित होगा, नामाकनों को इस विश्वविद्यालय के ढांचे का आधार बनाने का कोई प्रश्न नहीं है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति का प्रतिवेदन मिलते ही हम इसे क्रियान्वित करेंगे और सम्भवतः वर्ष 1970-71 की सर्दियों तक अलीगढ़ विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हम एक व्यापक विधान लाने का प्रयत्न करेंगे।

जहां तक छात्रों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिये जाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम इस बारे में विचार कर रहे हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी इस प्रश्न पर विचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में श्री मधु लिमये का विधेयक भी विचाराधीन है, उसे लोक-मत के लिये परिचालित किया जा रहा है। इस प्रश्न के सभी पहलुओं तथा आवश्यकताओं के बारे में विश्वविद्यालय में जो नई हवा बह रही है,

उसके बारे में तथा अध्यापक छात्र सम्बन्धों की आवश्यकता आदि के बारे में हम गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं, इसलिये मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस प्रश्न की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं परन्तु कठिनाई यह है कि हम इन सब बातों का इस अस्थायी विधेयक में एक दम से समावेश नहीं कर सकते, यह केवल एक काम चलाऊ उपाय है जिससे हमें और अधिक महत्वपूर्ण तथा अपेक्षित चीजों के लिये समय मिल जायेगा, हम इस विधेयक में विभिन्न सुधारों की व्यवस्था नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि किसी विश्वविद्यालय को नामांकनों के आधार पर चलाया जाये; मैं चाहता हूं कि यह काम प्रस्तुत विधेयक में निर्धारित 3 वर्ष की अवधि से काफी पहले ही समाप्त हो जाये।

जहां तक इमारत पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक अधिकारियों के कब्जे के प्रश्न का सम्बन्ध है, शिक्षा मंत्रालय इस मामले पर बातचीत कर रहा है। चूंकि यह इमारत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नहीं है लेकिन इस पर केवल उसका कब्जा है, इसलिये इसे खाली करवाने के लिये उनके साथ बात-चीत चल रही है और इस प्रयोजन के लिये कार्यकारी परिषद् के एक सदस्य को विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। मुझे आशा है कि इस विशेष समस्या का यथाशीघ्र समुचित हल निकल आयेगा।

इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के बारे में गलतफहमी हो गई है कि उसे बन्द किये जाने की आशंका है। यह संस्था विश्वविद्यालय में खोली गई थी। उसके पश्चात् उप-कुलपति तथा कार्यकारी परिषद् ने एक संकल्प पारित किया कि इसे बन्द किया जाना चाहिए। कोर्ट इसे चलाये रख रही है। बहुत-से लोगों में जोरदार भावना है कि यह संस्था कायम रहनी चाहिए। मैं सभा को बता चुका हूं कि यह संस्था चालू रहेगी। यह सच है कि कानून में संशोधन करना आवश्यक होगा, इस विधेयक के पारित होने पर ज्यों ही नई मनोनीत कार्यकारी परिषद् बनेगी, उसे इस कानून में संशोधन करने के लिये प्रस्ताव भेजने की शक्ति प्राप्त होगी और हम उन्हें सुझाव देंगे कि क्या संशोधन किया जाना है। लेकिन यह संस्था चालू रहेगी और उसके बन्द होने का कोई प्रश्न नहीं है।

जहां तक डा० उदुपा के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री एस० कन्डप्पन के इस कथन का सम्बन्ध है कि उन्होंने स्वतः अपने को एम० बी० बी० एस० की उपाधि प्रदान की है, डा० उदुपा, जो विश्वविद्यालय में रिएक्टर हैं, एक बहुत प्रख्यात तथा उच्च कोटि के विद्वान हैं, वास्तव में राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र अलग-अलग हैं और राजनीति में कीचड़ उछालना आदि सब चलता है लेकिन जब हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसरों, उपकुलपतियों तथा अन्य गण्यमान्य लोगों के बारे में बातें करते हैं, तो हमें राजनीति को दूर ही रखना चाहिए क्योंकि जब हम उनके बारे में कोई निन्दात्मक बात करते हैं तो समाचारपत्रों में प्रकाशित होने पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जहां तक डा० उदुपा का सम्बन्ध है, उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक मैडिसिन तथा सर्जरी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हुई है। उन्हें छात्रों की मांग पर वहां नियुक्त किया गया है और छात्रों का उनमें अत्यधिक विश्वास है। वह बहुत अच्छी तरह कालेज को चला रहे हैं, उन्हें मिशिगन विश्वविद्यालय से मास्टर आफ सर्जरी की उपाधि भी मिली हुई है। वह रायल कालेज आफ सर्जन्स, कनाडा के "फैलो" भी हैं। वह वहां बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्होने काफी ख्याति प्राप्त की है। जब डा० त्रिगुण सेन वहां उप-कुलपति थे, उन्होंने उन्हें रेक्टर नियुक्त किया था। ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसा कहना कि उन्होंने स्वतः अपने को एम० बी० बी० एस० की उपाधि प्रदान की है, कुछ अजीब सा लगता है। इससे अध्यापक समाज की बदनामी तथा अपमान होता है और अध्यापकों की बदनामी से शिक्षा के क्षेत्र में शान्ति तथा प्रगति नहीं हो पाती।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या विश्वविद्यालय से निकाले गये छात्रों को फिर से दाखिला दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देना इतना सरल नहीं हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ अनियमितता बरती गई थी। गजेन्द्रगडकर समिति ने भी इन तीन छात्रों की गतिविधियों की आलोचना की है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अनुशासन तथा सद्भावना का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसे आघात पहुंचे। हम इस सम्बन्ध में जो निर्णय लेंगे वह हमारी समझ से सर्वोत्तम होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे कि यह विश्वविद्यालय पुनः वही आदर्श स्थापित करे जिसके लिये स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसकी स्थापना की थी।

मैं सांविधिक संकल्प के प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर सभा का मतदान लेने के लिये आग्रह न करें। इसके अलावा मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे कोई ऐसी बात न कहें जिससे कि वातावरण दूषित हो क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय पुनः शान्तिपूर्ण वातावरण में खुले और सुचारु रूप से काम करे।

Shri Srichand Goel (Chandigarh) : Sir, I am grateful to all the members who expressed their views on my Statutory Resolution regarding disapproval of the Banaras Hindu University (Amendment) Ordinance, 1969.

It may be recalled that the then Education Minister, Dr. Trigun Sen, had in reply to a Call Attention Notice stated and assured on the floor of the House that the Gajendragadkar Commission could not enquire into the conduct of the Vice-Chancellor. But even in the absence of any documentary proof and evidence, the Commission have commented upon the conduct of the Vice-Chancellor, which is, in my opinion, a breach of the assurance given to the House and something which did not fall within the ambit of the terms of reference of the Commission.

There were complaints about various cases of embazzlement there and Shri Joshi, the Vice chancellor, took certain steps in regard to those cases and referred them to the police. The persons who did not like this action of the Vice-Chancellor under fear of being exposed in the event of those cases coming into light, started a tirade against Shri Joshi and made a false propaganda that he was a supporter of the R.S.S. Here also some hon. Members tried to malign the R.S.S. to sub-serve their political interests. These accusations are motivated by political considerations.

We have a two roomed R.S.S. building there. The building was constructed when the University was established there by the late Shri Malviyaji. The building has been in the possession of the R.S.S. as early as 1934 when this organisation started its activities there and the fact is that this building was given to the R.S.S. by the founder of this University for he knew and believed that the aim of the Sangh was to build and raise the national character of students and infuse into them a sense of patriotism. And there is a missionary zeal in its working. The charge that the R. S. S. indulges in fomenting communalism is baseless and wrong in fact. It has a brilliant record of service to the nation including the fine work that it did during the Indo-Pak conflict in 1965. The R.S. S. workers had then shown a remarkable courage by crawling upto a distance of 4 miles into the territory of the enemy and bringing back 16 boxes of ammunition dropped by the I.A.F. officers there by mistake.

Mr. Speaker : It has no relevance to what we are discussing here.

Shri Srichand Goel : The previous speakers touched on the activities of the R.S.S., when you were not in the chair.

Sir, the submission I wanted to make is this the only problem with this university is that certain political parties are trying to use students as tools for achieving their political objectives. I want to congratulate the students of the university for giving a tough fight to the sowdy elements who indulged in hooliganism, vitiated the university atmosphere and attacked the house of the Vice-chancellor, and these very elements who have, on many occasions, spear-headed violent agitations are clamouring for the resignation or removal of Dr. Joshi. The goonda elements responsible for creating trouble and vitiating the atmosphere there should be dealt with firmly. They should not be allowed to jeopardise the intersts of thousands of students there. It is essentially a student problem and not a political one since this Bill does not fulfil this objective, I once again strongly oppose this measure.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "यह सभा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 7) का, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अब हम खंड दो पर विचार-विमर्श करेंगे, इच्छुक माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : मैं संशोधन संख्या 86, 87 प्रस्तुत करता हूं।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : मैं संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Jaswant Singh Kushwah (Bhind) : I beg to move Amendment No. 49.

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : मैं संशोधन संख्या 44 और 45 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं संशोधन संख्या 78 और 79 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Mahant Digvijai Nath : The Hindu University was established by late Shri Madan Mohan Malviyaji in 1916 when the country was under British domination. Its aim was the propagation and study of Indian Culture, ancient learning and western knowledge. There was no interference in its internal affairs during the British regime. The Centre took its administration in its own hands by an Ordinance in 1952 and this remained in force for eight years.

During this period some vested interests crept into the university and they have been demeaning its image. They are Communists. The people will never forget the part played by Raj Narain (*Interruption*). You keep quiet * *

Shri Janeshwar Mishra (Phulpur) : I want to raise a point of order. I told him that Shri Raj Narain participated in the language agitation. You * * If the hon. Members speak in such a wrong way * * and we will not allow such indecency. (*Interruption*).

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I have a point of order. You should at least expunge these words from the proceeding**. These words may be said by them or from this side**. I want this should be expunged.

Mr. Speaker : These would be expunged.

Shri Mahant Digvijai Nath : The proposed Bill has the same provision as in the Ordinance promulgated by the Government. The main objection in the Bill is that nomination in all the bodies has been replaced by election. In this way the autonomy of the University is being eliminated. My request is that the *status-quo* be restored.

You are going to appoint a new Vice-Chancellor. What is the measuring rod by the help of which you can ascertain that he is better than Shri Joshi. You made an experiment by that Ordinance but failed. Now I want to know how you will find out the suitable person.

I want to say something about the Registrar. They did not give any co-operation to Shri Joshi and this counts for the present resentment. I want that full enquiry be made and the persons found guilty of undue interference who should be removed.

I want to draw the attention of the Hon. Minister to the statements regarding irregular appointments. The principal of a women's college was appointed by a Committee comprising educationists like Dr. Joshi, Dr Hazari and Dr. R.V. Pandey. Now it is said that this appointment is irregular. I do not understand why the report of the Committee should be ignored. We hope that he will look into this matter and refrain from taking any action in cases where the appointments are not unlawful.

Shri Yaswant Singh Kushwah (Bhind) : I have made suggestion in my amendment No. 49 that five names should be given for selection and the one found most suitable, be appointed. My second amendment is that instead of nomination two members will be elected from Lok Sabha and one from Rajya Sabha. I think that this procedure is better than nomination.

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : मैंने खंड 2 के लिये दो संशोधन प्रस्तुत किए हैं। पहला संशोधन यह है कि यदि सिफारिशों को स्वीकार न किया जाय तो एक नई समिति नियुक्त की जाए, दूसरा, उपकुलपति की नियुक्ति के सिफारिश के समय समिति को भूतपूर्व उपकुलपति, विद्या परिषद् कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए, इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने से एक योग्य उपकुलपति मिल सकता है। विज़िटर हमेशा उपकुलपति की नियुक्ति करता रहा है, परन्तु उसका क्षेत्र सीमित होता है अतएव वह अपने ही सम्पर्क में आने वाले की नियुक्ति करता है। यदि मेरा सुझाव स्वीकार किया जाय तो योग्य उपकुलपति मिलने की संभावना हो सकती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past fourteen of the clock.

**Expunged as ordered by the Chair.

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 18 मिनट (म० प्र०) पर पुनः सम्वेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at eighteen minutes past fourteen of the clock.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मेरा सुझाव है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद आध घंटे में समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इसके बाद बिहार का समय 4 घंटे से कम करके 2 घंटे कर दिया जाये तथा फिर बाढ़ का विषय लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव सबको स्वीकार होगा, मेरे विचार में खण्ड 12 के लिए बहुत से संशोधन हैं । यह एक महत्वपूर्ण खण्ड है अतएव अन्य खण्डों को पारित करके इस पर समय लगाया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं संशोधन संख्या 78 और 79 प्रस्तुत करता हूं ।

I will state the reason for appointing Central Education Minister as Visitor. The President is not responsible to anyone but the Minister is responsible to Parliament. So I endorse his nomination.

My second amendment is for the deletion of the proviso. The Hon. Minister may reject my amendments on the ground that the Bill will have to be referred to Rajya Sabha again. In that case some other ways may be found out. The University has not shown good performance under this system. It must be changed to ensure peace there.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : In my Amendment No. 7 I have proposed to substitute 'five years' by 'three years'. When the situation improves there you may make it three or five years. For the present it should be two years only. You are making the Vice-Chancellor eligible for reappointment which was not the practice hitherto. This gives rise to malpractices. It is not proper to do so in the present circumstances.

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह सच है कि इस विश्वविद्यालय का प्रबन्ध काफी वर्षों से मनोनीत की गई समिति के हाथ में था । मैं सभा को आश्वासन दे चुका हूं कि ऐसा तीन वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा । मैं यथासंभव शीघ्र वर्तमान संशोधन के स्थान पर विधान प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न करूंगा । मेरे एक माननीय मित्र ने उप-कुलपति की अर्हताओं के बारे में पूछा । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि विजिटर को सलाह देने के लिये एक शक्तिशाली चयन समिति होगी और मझे विश्वास है कि चयन समिति उप-कुलपति पद के योग्य व्यक्ति का ही चयन करेगी ।

एक सुझाव दिया गया था कि शिक्षा मंत्री को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का पदेन उप-कुलपति होना चाहिए, मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री के पास करने के लिये अनेक अन्य कार्य हैं । नये उप-कुलपति के नियुक्त होने पर मैं उनसे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पूर्ण प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के

के लिय कार्यवाही करने के लिये कहूंगा। महिला कालेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति के बारे में, जिसका सभा में उल्लेख किया गया, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनकी नियुक्ति कार्यकारी परिषद् की एक उच्च शक्ति प्राप्त चयन समिति द्वारा की गई थी और इस समिति में प्रख्यात व्यक्तियों को रखा गया था। विश्वविद्यालय का मत था कि यह एक शैक्षणिक नियुक्ति नहीं अपितु रजिस्ट्रार अथवा लाइब्रेरियन के समान नियुक्ति थी। शिक्षाविद् होने के नाते मैं इसे स्वीकार नहीं करता और कानूनी राय भी इसके पक्ष में नहीं थी। इसलिये इस नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया है और एक नई चयन समिति नियुक्त की गई है, जिस में विशेषज्ञों को भी रखा गया है।

श्री जुल्फिकार अली खां (रायपुर) : क्या 1 सितम्बर को विश्वविद्यालय के खुलने पर बनारस में नये उप-कुलपति होंगे ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : वहां पर वे कैसे हो सकते हैं ? अभी विधेयक पारित किया जाना और फिर राष्ट्रपति की अनुमति भी दी जानी है। फिर चयन समिति नियुक्त की जायेगी। मेरे अनुरोध पर रैक्टर डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, कार्य करते रहने के लिए सहमत हो गये हैं। इस समय वे विश्वविद्यालय का प्रशासन चला रहे हैं। चयन समिति द्वारा सिफारिश की जाने के बाद नये उपकुलपति की नियुक्ति हो जायेगी। चयन समिति के समक्ष तीन नामों का पैनल होगा, जो मेरे विचार में ठीक है। मैं समझता हूं कि नामों के संतोषजनक न होने की अधिक संभावना नहीं है। फिर भी हमने सावधानी के रूप में ऐसा होने पर उनसे पुनर्विचार करने की व्यवस्था की है। चयन समिति की सिफारिश के बाद मंत्री विजिटर से नाम की सिफारिश करेगी और फिर उपकुलपति की नियुक्ति की जायेगी। डा० जोशी को विजिटर द्वारा अवकाश दिया गया है, जो उन्हें देय है।

एक नई समिति नियुक्त करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इस समिति की सिफारिशें स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। श्री आर० के० अमीन ने सुझाव दिया कि समिति को भूतपूर्व उप-कुलपतियों, शिक्षा परिषद् के सदस्यों आदि के साथ नामों के बारे में विचार-विमर्श करना चाहिए। यदि इतने अधिक लोगों के साथ संभावित उपकुलपतियों के नामों पर चर्चा की जाने लगे तो कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकलेगा और कोई भी इस प्रकार की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री विभूति मिश्र ने नामांकन के बारे में कहा। मैं आज प्रातः कह चुका हूं कि मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। यह नामांकन तो एक अस्थायी व्यवस्था है। विजिटर के स्थान पर मंत्री को रखने के बारे में, मैं समझता हूं कि अधिनियम के द्वारा ऐसा करना संभव नहीं है। मैं दूसरे सदन में कह चुका हूं कि अपने कृत्यों के निर्वहन के बारे में विजिटर को सलाह देने का मंत्री महोदय का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। यह लगभग वही बात हो जाती है। श्री शिव चन्द्र झा ने कहा कि ऐसा दो वर्ष के लिये ही किया जाये। मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि यह व्यवस्था दो वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाये परन्तु हम सावधानी के तौर पर तीन वर्ष रखेंगे।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : When the leave of the Vice-chancellor is to expire ? Dr. Hazari Prasad Dwivedi was brought by the vice-chancellor. If he continues to function on the lines of the Vice-chancellor, there will be further trouble.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वे ऐसा न कहें कि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के रहने से गड़बड़ी होगी । वे त्यागपत्र दे चुके हैं परन्तु मेरी प्रार्थना पर नये उपकुलपति की नियुक्ति होने तक वे अपने त्यागपत्र पर जोर न देने के लिये सहमत हो गये हैं । डा० द्विवेदी एक सुविख्यात दयालु और अच्छे व्यक्ति हैं ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपने संशोधन संख्या 78 और 79 वापस लेता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 78 और 79 वापस लेता हूं ।

The amendments were, by leave, withdrawn.

अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

All other amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 और 4

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 और 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड दिये गये ।

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

खण्ड 5

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I beg to move my Amendment No. 70.

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 80 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रा० की० अमीन : मैं अपने संशोधन संख्या 88 और 89 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 99 प्रस्तुत करता हूं ।

The object of my amendment is to make the court a policy-making body instead of an advisory body. Keeping in view the present circumstances the court should be given more powers and it can be strengthened only when it is made a policy making body. The hon. Minister should accept my amendment.

श्री रा० की० अमीन : यह एक स्वीकृत सिद्धान्त है कि विश्वविद्यालय में एक निकाय को सर्वोच्च नहीं बनाया जाना चाहिये और विभिन्न शक्तियों को विभिन्न निकायों में विभाजित करना चाहिये । पहले अधिनियम में कोर्ट को सर्वोच्च निकाय बनाना गलत था । जब आप इसे सलाहकार निकाय बनाते हैं, तो वह भी गलत है । चूंकि यह अस्थायी व्यवस्था है, मुझे इस समय आपति नहीं है परन्तु स्थायी अधिनियम में इसे सलाहकार निकाय नहीं बनाया जाना चाहिये । उदाहरण के लिये विधान तो कोर्ट द्वारा पारित किये जाते हैं और अध्यादेश कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित किये जाते हैं । शक्तियों का विभाजन होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय व्यापक विधेयक प्रस्तुत करते समय इस सिद्धान्त को ध्यान में रखेंगे ।

डा० वी० के० आर ०वी० राव: जहां तक व्यापक विधेयक का प्रश्न है मैं प्रोफेसर अमीन की बात को ध्यान में रखूंगा । शक्तियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों में उचित रूप में बांटा जायेगा । यह तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के समान एक अस्थायी व्यवस्था है । मेरे विचार में कार्य को शीघ्रता से निपटाने की दृष्टि से कार्यकारी परिषद् पर अधिक ध्यान देने और कोर्ट को एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करने देना अधिक अच्छा है ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Through my Amendment No. 7 I want the court to advise the Visitor to take steps for creating a healthy nationalist and secular atmosphere in the University. It is clear from the report of Dr. Gajendragadkar and the speeches of the hon. Members that the Banaras University has lost its nationalist character and it has become a hot bed of activities of R.S.S. which have lead to all these troubles, murders etc. It was said that only students from U.P. and Bihar were going there. In fact there should be such atmosphere there as would attract the people from all the States and all religions. My amendment sould, therefore, be accepted.

डा० वी० के० आर० वी० राव : कार्यकारी परिषद् के हाल में शक्तियां देने से, माननीय सदस्य द्वारा रखी गई बात अधिक प्रभावी ढंग से पूरी होगी । मैं उनसे सहमत हूं कि इस देश में सभी विश्वविद्यालयों का मूल ध्येय धर्मनिर्पेक्षता होना चाहिये । यहां कहा गया कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का विश्वविद्यालय बनता जा रहा है । कला विषय, मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बारे में तो यह सच है परन्तु प्राच्य अध्ययन महाविद्यालय में अनेक विद्यार्थी अन्य राज्यों के हैं । वनस्पति विज्ञान के भी अधिकांश विद्यार्थी देश के अन्य भागों से हैं । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अखिल भारतीय स्वरूप का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपने संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 80 और 99 वापिस लिये गये ।

Nos. 80 and 99 were, by leave, withdrawn.

अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

All other amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6 से 8 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 9

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 81 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रा० की० अमीन : मैं अपने संशोधन संख्या 90 और 91 प्रस्तुत करता हू ।

Shri Bibhuti Mishra : My amendment seeks to add at the end "provided Union Government is agreeable" so that new statutes may not be made or old ones may not be amended or repealed without the approval of the Union Government.

डा० वी० के० आर० वी० राव : विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की अपेक्षा है कि विधान मूल रूप से कार्यकारी परिषद् द्वारा ही बनाया जाना चाहिये । यदि सरकार उन्हें पसन्द नहीं करती है तो विजिटर अथवा विजिटर के जरिये सरकार जब चाहे उनमें संशोधन कर सकती है अथवा उन्हें नामंजूर कर सकती है । नामनिर्देशित निकायों के बनाये जाने पर उनकी स्वायत्तता और स्वतन्त्रता निर्वाचित निकायों के समान ही होगी ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 81 वापस लिया गया ।

Amendment No. 81 was, by leave, withdrawn.

अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All other amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक म जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 (धारा 18 का संशोधन)

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : मैं अपना संशोधन संख्या 92 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 92 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12 (संविधियों का संशोधन)

सभापति महोदय : इस खण्ड के बारे में बहुत से संशोधन आये हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 46 और 48 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : I beg to move my amendment No. 50.

श्री राजदेव सिंह (जोनपूर) : मैं अपने संशोधन संख्या 58, 59, 60, 61, 62 और 63 पेश करता हू ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I beg to move my amendments Nos. 71, 72, 73, 74, 75 and 76.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपने संशोधन संख्या 82, 83, 85, 100, 101, 102, 103, 104 और 105 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : मैं अपने संशोधन संख्या 93, 94, 95, 96, 97 और 98 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Shiva Chandra Jha : I have tabled 14 amendments to this clause.

The Rector is being made eligible for re-appointment. My amendment is that Rector should not be made eligible for re-appointment because if that is done it will open the flood gates of corruption. My another amendment is that on page 3, in line 10 the word "Three" should be substituted by "five".

It has been provided that 30 persons will be nominated by the Visitor. That is not correct. My amendment is that instead of thirty only fifteen persons should be nominated by the Visitor.

My next submission is that in line 20 which says "shall hold office for a term of three years" the word "Three" should be substituted by "two".

In line 26 it has been provided that 8 persons will be nominated by the Visitor. My amendment is that six persons should be nominated by the Visitor. If the provision of nominating eight persons by the Visitor is substituted by six persons, then the quorum should be 4 persons instead of five.

At present it has been provided that the Members of the Executive Council shall hold office for a term of three years. My submission is that their term should be five years instead of three years, because Executive Council is the main functioning body and it will be more appropriate to fix its term for five years.

My next amendment is that the word "free studentship" should be added after the word "scholarship" occuring in line 41 at page 4.

My next amendment is that at page 5 in line 27 after the words "specific purposes" the words "like students participation in politics" be added.

My next amendment is that at page 5 after line 39 the following sub-clause be added :

"(v) five Members of Parliament as included in the Court of Statute 10 (1) (f)."

I want that five members of parliament should be included in the Finance Committee so that they may scrutinise the expenditure etc.

My last amendment is that the quorum of financial committee should be seven members including two members of Parliament instead of four as has been provided at present.

I request that my amendments should be accepted.

Shri Rajdev Singh : Mr. Chairman Sir, I have tabled six amendments. The main purpose of all my amendments is to create proper atmosphere in the University and to eradicate casteism and factional politics from it. I had been a student of that University from 1930 to 1938 and I had seen that the students had taken part in national movements. At that time the atmosphere of the University was very good and it was not polluted by casteism. So the main purpose of my amendments is to create proper atmosphere there.

श्री रा० की० अमीन : मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं । मेरा एक संशोधन कार्यकारी परिषद् की संरचना से सम्बन्धित है । मैंने कहा है कि विजिटर द्वारा जो आठ व्यक्ति नामनिर्देशित किये जायें उनमें कम से कम दो व्यक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अध्यापकों, प्राध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों में से होने चाहियें ।

दूसरे मैं यह चाहता हूं कि कार्यकारी परिषद् द्वारा वित्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले दो व्यक्ति कार्यकारी परिषद् के सदस्यों में से ही होने चाहियें ताकि जब कोई मामला वित्त समिति से कार्यकारी परिषद् में जाये, तो कार्यकारी परिषद् में वे उसका स्पष्टीकरण कर सकें । अधिकांश विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था है तथा इस विश्वविद्यालय में भी होनी चाहिये ।

Shri Bibhuti Mishra : A provision for nomination has been provided in the Bill. My first submission is that the system of nomination should be removed and a provision of elections should be made in its place. As the hon. Minister has said that it is only a temporary measure, I hope the provision of nomination will be replaced by the provision of election.

My second amendment is that the number of Members of Parliament to be appointed should be increased to six instead of three as at present. There should be four members from Lok Sabha and two from Rajya Sabha.

My third amendment is that following proviso should be added after the provision where by the Visitor has been empowered to nominate thirty persons:—

"Provided they are specialists in Indian philosophy and World Culture".

The days of English are gone and persons like Shashadri who used to hate Indian students should now have no place in the University. So we should appoint such persons who have special knowledge of Indian philosophy.

Shri K.M Madhukar : I was suggested in the Conference of the Vice-Chancellors held last year that the students should be given due participation in all matters of education. So the intention of my first amendment is to give due participation to the students and infuse confidence in them.

My second amendment is that the number of representatives of Members of Parliament should be increased from three to five of whom three should be from Lok Sabha and two from Rajya Sabha.

My third amendment is that the persons of standing in public life should not be appointed and only educationists of great standing should be appointed. The politicians should have no place in the University.

Shri Mahant Digvijai Nath : My first amendment is that lines 11—13 at page 1 be substituted by the following :—

"(1) The Minister of Education shall be the *ex-officio* Vice-Chancellor with the right to delegate his powers to whomsoever he likes."

I hope that this amendment will be helpful—effecting improvement in the working of the University.

My second amendment is that lines 22—27 be substituted by the following :—

"(3) The Rector shall be elected by students and shall hold office for three years.

(3A) It shall be the function of the Rector to watch the interests of the students in the University.

(3B) The mode of election of the Rector shall be provided by the Ordinances."

I have read a book named "Indian University Administration" published by the Ministry of Education in 1958. It has been written in that book at page 12 or 13 that Rector should be elected by the Matriculation students for a term of three years. The rectorship is considered a very high office in Ireland and Scotland. So my submission is that Rector should be elected by the students. If that is done it will help improving the working of the University.

My third amendment is that in line 26 the word "Visitor" be substituted by the word "Education Minister." If that is done the object of the Bill will be achieved and it will result in improving the administration of the University.

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : इस विश्वविद्यालय की वर्तमान कठिनाइयों का मूल कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया गलत निर्णय है । केन्द्रीय सरकार का वह निर्णय जिसके द्वारा डा० सेन को उपकुलपति के पद से वापस बुलाया गया है, एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, क्योंकि जिस समय डा० सेन को उपकुलपति बना कर वहां भेजा गया था, उस समय विश्वविद्यालय उपद्रवग्रस्त था । डा० सेन ने वहां जा कर बड़ी सूझ बूझ से काम लिया था तथा विश्वविद्यालय में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति कायम की थी । परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि वह शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने का अपना काम पूरा भी न कर पाये थे कि उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया गया । मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय की वर्तमान कठिनाइयों का मूल कारण डा० सेन को वापस बुलाना है । यदि डा० सेन वहां रहते तो विश्वविद्यालय में पूर्ण शान्ति स्थापित हो जाती ।

जहां तक यूनिवर्सिटी कोर्ट का सम्बन्ध है, यूनिवर्सिटी कोर्ट की शक्तियों में परिवर्तन किया जाता रहा है । जब श्री एम० सी० छागला शिक्षा मंत्री थे उस समय एक विधेयक लाया गया था तथा कोर्ट की संरचना में परिवर्तन किया गया था । उस समय कोर्ट के पास कोई शक्तियां नहीं थीं तथा जांच समिति ने यह कहा था कि विश्वविद्यालय की कठिनाइयों का वास्तविक कारण कोर्ट के पास शक्तियों का न होना है । अतः श्री एम० सी० छागला ने उन उपबन्धों में संशोधन किया था तथा कोर्ट को शक्तियां प्रदान की थीं । अब दूसरे मंत्री महोदय एक दूसरी जांच समिति के इस मत का समर्थन कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में उपद्रव होने के कारण कोर्ट के पास शक्तियों का होना है । अतः वह कोर्ट की शक्तियों को वापस लेना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में दोनों जांच समितियों की राय भिन्न-भिन्न है । अतः मैं इस उलझन में हूं कि कौन सी राय सही है तथा कौन सी राय को क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है विश्वविद्यालयों सम्बन्धी राधाकृष्ण आयोग ने यह विशिष्ट सिफारिश की थी कि जहां तक सम्भव हो विश्वविद्यालयों को चुनावों से दूर रखा जाना चाहिये । उन्होंने यह सिफारिश की थी कि चुनाव के स्थान पर पदाधिकारियों की अदला बदली करते रहने के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि राधाकृष्ण आयोग की इस सिफारिश को प्रयोग के तौर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू नहीं किया गया है तथा हम इस समय इस उलझन में हैं कि चुनाव होने चाहियें अथवा नाम-निर्देशन । राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री जी०सी० बनर्जी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने भी यह सिफारिश की है । इस समिति ने तो यहां तक कहा है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघों के चुनावों को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये । उनकी राय यह थी कि छात्र संघों के चुनावों में जो आपसी विवाद होते हैं, उन ही के कारण विश्वविद्यालयों में उपद्रव हो जाते हैं और विश्वविद्यालय की शान्ति भंग हो जाती है ।

इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में व्यापक विधेयक लाते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

अन्त में मैं विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख करना चाहता हूं । यदि आप वहां जायें तो आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय की आधार शिला पर "काशी विश्वविद्यालय" शब्द खुदे हुये हैं । विश्वविद्यालय का यह नाम महामान्य पण्डित मदन मोहन मालवीय द्वारा रखा गया था । वास्तव में डा० राम मनोहर लोहिया द्वारा बार-बार यह सुझाव दिया गया था कि इस विश्वविद्यालय के उसी नाम को स्वीकार किया जाना चाहिये, जो इसके संस्थापक द्वारा रखा गया था । परन्तु बाद में जब कि मूल विधेयक तत्कालीन विधान सभा में पारित करने के लिये लाया गया, तो इसका वही नाम रखा गया, जिसे ब्रिटिश प्रशासन अपनी हित सिद्धि के लिये सही समझता था । अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम पुनः वही रखा जाये, जो कि इसके संस्थापक द्वारा रखा गया था तथा जो इसकी आधार शिला पर खुदा हुआ है ।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I think that Kashi Vishwavidyalaya was the only University in India which was founded on the basis of patriotism and its founder was Shri Madan Mohan Malaviya. But the present conditions of this University are very pitiable and if we try to find out its causes it will be evident to us that politics is mainly responsible for the problems which the Banaras Hindu University is facing to-day.

Some of my hon. friends have alleged that R.S.S. is responsible for the troubles and disturbances in the University. I want to say that R.S.S. has been working there since 1934 and this organisation has never indulged in violence. The Gagendragadkar Commission has observed as follows in this regard :—

> "An attempt was made to malign the Vice-Chancellor alleging that he is associated with R.S.S. and Jan Sangh, in order to terrish his image of intellectual integrity and his reputation as an impartial administrator. This allegation apparently has been made for the reason that the Vice-Chancellor has after all shown some courage in expelling the most notorious students, some of whom also happen to belong to certain political parties."

So my submission is that in order to create proper atmosphere in the University it is essential that it should be kept away from party politics. There are certain political elements in the University who have made it their monopoly to organise strikes or create troubles in the University. My submission is that the Communalism, whether based on caste, religion or language, should be crushed.

An hon. Member has just stated that the secular structure of the University should be maintained. I am of the opinion that those crying for secularism do not understand what secularism actually means. Shri Raj Narain in his statement, as it reported in the press has criticised the President for going to a temple for offering worship. I want to know when the head of the secular State is free to go in to a Masjid or Church, why his freedom of going to a temple for offering worship is restricted ?

I feel that secular State does not mean (*Interruptions*).

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने वक्तव्य को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मामलों तक ही सीमित रखें तथा उसे शीघ्र समाप्त करें ।

Shri Balraj Madhok : The manner in which some hon. members behave in this house is very shameful. They take it as a market place. They insult the House and do not deserve to be the Members of this House. Such Members should quit the House (*interruptions*).

सभापति महोदय : इस सदन को बाजार नहीं बनाना चाहिये । पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी सदस्य को इस विशेष मामले पर परामर्श देना आवश्यक नहीं है । परन्तु किसी भी सदस्य को एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहियें ।

Shri Om Prakash Tyagi : It is the duty of both the Government as well as the people to safeguard the patriotic and non-Communal atmosphere of Banaras Hindu University. One of the recommendations of Gajendragadkar Commission is that the status of the University be raised to post graduate level, which, I think, will prove to be suicidal. The students from allover the country come there for studies. We should maintain the secular status of all the universities.

Shri Madhu Limaye : I want to draw the attention of the hon. Minister to the conclusion of Gajendragadker Commission that Sarvashri Majumdar, Sinha and Ravi Shanker Singh, against whom action was taken, were not even allowed to give a clarification in respect of their conduct. The allegations made against them by the vice-chancellor were baseless. In spite of that conclusion of the Commission no action has been taken to readmit the students.

Many recommendations of the Commission are so reactionary that I am not able to decide whether the thinking of the Government is reactionary or that of Shri Gajendragadker ? One of the recommendations is that an executive council be appointed but Members of Parliament should not be appointed on it.

I feel that the students of Kashi Vishvavidyalaya have a great dignity. In order to do away with their student federation the Commission has suggested that its office-bearers should not be appointed on the basis of direct election. This approach is totally undemocratic. Even the views expressed by Gajendragadkar Commission in respect of the student participation are not progressive. Will the hon. Minister give due consideration to the students unions, teachers unions and draw a plan for student participation while framing the final Bill ?

Will the Law Minister fulfill the assurance given by the former Education Minister regarding changing the name of the University to "Kashi Vishvavidalya "?

डा० वी० के० आर० वी० राव : श्री शिव चन्द्र झा ने सुझाव दिया है कि कार्यकारिणी समिति की कार्यावधि तीन के स्थान पर पांच वर्ष हो । परन्तु नया विधेयक रखते समय कार्यकारिणी समिति का पूरा विधान ही बदल दिया जाएगा । सदस्यों की संख्या आठ से अधिक होगी तथा उनका चयन भी चुनाव द्वारा होगा ।

हमने उसी प्रक्रिया का पालन किया है जिसका अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में किया था। जनता बड़ी उत्सुक है कि इन दोनों विश्वविद्यालयों के प्रशासन में कोई भेदभाव न बरता जाये । इस बारे में संयुक्त समिति में विचार किया जायेगा । दोनों विश्वविद्यालयों पर विस्तृत विधेयक मैं साथ साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

यह सत्य है कि विजेटर द्वारा सदस्यों के नामांकन में राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं परन्तु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नामांकन करने में शैक्षणिक योग्यताओं को प्रमुखता दी जाएगी ।

निःशुल्क शिक्षा के सुझाव के बारे में मैं संशोधन तो नहीं रखता परन्तु अपने पत्र में मैं इसका उल्लेख करूंगा ।

छात्रों द्वारा राजनीति में भाग लेने के लिए मैं किसी विशेष समिति की आवश्यकता नहीं समझता। मैं समझता हूं कि छात्रों को राजनीतिक विचारधारा से प्रथक रखना न तो आवश्यक है और न ही सम्भव । हम तो केवल यही चाहते हैं कि छात्र राजनीति में इस रूप में भाग न लें कि विश्वबिद्यालय की शांति भंग हो । उन्हें राजनीतिक विचारकों को सुनने तथा उनसे विचार-विमर्श द्वारा अपनी राजनीतिक विचार धारा को परिपक्व बनाने के अवसर मिलने चाहिएं । मेरे विचार से छात्रों की राजनीतिक क्लबें होनी चाहिएं जिनमें राजनीतिक व्यक्तियों को सामयिक समस्याओं पर चर्चाओं के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए । इनमें किन्हीं विचारधाराओं का समावेश हो सकता है परन्तु विश्वविद्यालय क्षेत्र में अहिंसा का ही व्यवहार होना उचित है । मैं समझता हूं कि इस विचार से सभी सहमत होंगे ।

श्री अमीन के इस सुझाव से, कि विश्वविद्यालय के दो कर्मचारियों का चयन किया जाए, मैं सहमत हूं । परन्तु इसे यहां संकल्प रूप में नहीं रखा जा रहा है । नामांकन केवल अस्थायी रूप से किए जा रहे हैं । स्थायी व्यवस्था करते समय सदस्यों की संख्या पर विचार किया जाएगा ।

श्री मधुकर ने सुझाव दिया है कि उप-कुलपति छात्रों के परामर्श से नियुक्त किए जायें । मैं समझता हूं कि यह आदर्श व्यवस्था होगी परन्तु अभी समय नहीं आया कि इस सुझाव को स्वीकार किया जा सके ।

मैं समझता हूं कि उप-कुलपतियों को छात्रों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए तथा उन्हें कुछ प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए ।

माननीय महन्त दिग्विजय नाथ ने सुझाव दिया है कि शिक्षा मंत्री उप-कुलपति हो । प्रथम तो मैं नहीं जानता कि यह विधि के अनुसार ऐसा सम्भव भी है अथवा नहीं। और यदि उसे कई विश्व-विद्यालयों का उप-कुलपति बना दिया जाये तो उसके लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी ।

रैक्टर उप-कुलपति का कार्य करता है और उसकी नियुक्ति के लिए चुनाव व्यवस्था करना सम्भव नहीं है । विदेशी विश्वविद्यालयों में रैक्टर छात्र समुदाय का प्रशंसा-भाजक होते हैं और उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता । छात्रों द्वारा निर्वाचित रैक्टर रखने के सुझाव पर विदेशी विश्वविद्यालयों की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् मैं विचार करूंगा ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1958 में प्रकाशित "भारतीय विश्वविद्यालय प्रशासन" पुस्तिका में बताया गया है कि रैक्टर का चुनाव होता है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे ज्ञात नहीं है । जहां तक मैं समझता हूं रैक्टर से अभिप्राय सम-उप-कुलपति है ।

श्री भट्टाचार्य ने सुझाव दिया है कि पारियों में कार्य किया जाये । दिल्ली विश्वविद्यालय में इस पर अमल किया गया है । हम बनारस विश्वविद्यालय के ढ़ांचे पर विचार करते समय इस ओर ध्यान देंगे ।

जहां तक निकाले गये छात्रों को लिए जाने का प्रश्न है, इस विषय पर मैंने साहसहीनता का परिचय नहीं दिया । गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों में छात्रों के आचरण की निन्दा की गई है । आयोग के इस सुझाव को कि छात्र संघो के चनाव अप्रत्यक्ष हों सरकार स्वीकार नहीं कर रही है । श्री मधु लिये का छात्र संघों एवं शिक्षक संस्थाओं के लिए सांविधिक व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव उत्तम है । कई विश्वविद्यालयों में छत्र संघों के अध्यक्ष 15 वर्ष पुराने छात्र हैं । छात्र संघटनों का पुनर्गठन होना चाहिए ।

सभापति महोदय : क्या श्री विभूति मिश्र अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गये ।

The amendments were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : मैं अन्य संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13

Clause 13

Shri K.M. Madhukar : I beg to move my amendment No. 77.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 1 लेते हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri K. M. Madhukar : I move my amendment No. 68.

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं नामों के बारे में कुछ कहूं। इस विषय पर मैं अन्त में कहूंगा ।

सभापति महोदय : यदि आप चाहें तो अभी बता सकते हैं ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक मुझे विदित है आधारशिला पर "काशी विश्वविद्यालय" नाम अंकित है । कुछ वर्ष पूर्व अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों के नामों से मुस्लिम और हिन्दू शब्दों को हटाने सम्बन्धी विधेयक रखा गया था । परन्तु इस सदन ने नाम बदलने के सुझाव को अस्वीकृत कर दिया । मैं इस विषय पर पुनः विवाद इसलिए नहीं आरम्भ करना चाहता कि इससे हमारी साम्प्रदायिकता का आभास मिलता है ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 1 में संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिय गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को पारित किया जाये । "

हम अब इस विधेयक को पारित कर रहे हैं। मैं इस प्रसंग में सदन से एक अपील करना चाहता हूं ।

श्री बलराज मधोक : क्या वह बता सकते हैं कि विस्तृत विधेयक कब तक प्रस्तुत किया जाएगा।

डा० वी० के० आर० बी० राव : मैंने बताया था कि विस्तृत विधेयक 1970-71 के शीतकाल में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा ।

मैं समझता हूं कि बनारस विश्वविद्यालय के छात्रों की एक समस्या तो सुख सुविधाओं की कमी है । मेरे अनुरोध पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन छात्रों को होस्टल, केन्टीन तथा खेलों की सुविधाएं प्रदान करने के बारे में छात्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए एक दल भेज रहे हैं। आयोग के चेयरमैन ने मुझे आश्वासन दिया है कि दल का प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् वह कुछ राशि विद्यार्थियों की सुविधाएं जुटाने के लिए विश्वविद्यालय को देगें । आज प्रातः मैंने विश्वविद्यालय के दस विभागाध्यक्षों से विस्तृत लम्बी बातचीत की । मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह राजनीतिक विचारधारा अथवा दलीय सम्बन्धों पर विचार न करते हुए, महामना मालवीय जी को यथोचित आदर देते हुए विश्वविद्यालय में अच्छे वातावरण का निर्माण करने में योग दें ।

मैंने उन्हें बताया कि छात्र-शिक्षक संवादों तथा छात्र-शिक्षक परिषदों के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे, जहां आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके और उससे छात्रों में यह भावना बनी रहे कि उनके साथ न्याय हो रहा है ।

मैं सभी दलों के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे वाद-विवाद में प्रयुक्त कड़े शब्दों की ओर ध्यान न दें । यह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भविष्य का सवाल है । इसलिए आप सब प्रकार के प्रचार एवं आंदोलनों को समाप्त करें। मेरा निवेदन है विश्वविद्यालय के क्षेत्र में अहिंसा के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाए ।

मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों से प्रार्थना करता हूं कि वे काशी की महान् परम्परा का ध्यान रखें। बुद्ध के समय से सभी विद्वान लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए काशी पधारते रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व में ऐसी कोई केन्द्र नहीं है जो इतने प्राचीन समय से प्रतिष्ठित रहा हो । छात्र छोटी-छोटी बातें भुला दें और काशी की महान् परम्परा का ध्यान रखते हुए शान्ति स्थापना के लिए प्रयत्न करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय फिर संसार में चमकेगा ।

इन शब्दों के साथ इस विधेयक को सभा की स्वीकृति के लिए रखता हूं ।

"**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

विदेश विवाह विधेयक

FOREIGN MARRIAGE BILL

Shri Madhu Limaye (Monghr) : Mr. Chairman, Sir, I want to submit that the Foreign Marriage Bill have been received from the Joint Committee and the same has been passed by Rajya Sabha. Therefore, this bill should be passed without discussion as several human tragedies are involved in this matter.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I support the suggestion made by Shri Madhu Limaye.

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्री मधु लिमये ने यह सुझाव मुझे पहले भी दिया था अतः मैंने इस मामले में माननीय विधि मंत्री से परामर्श कर लिया है तथा उन्हें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है । यदि सभा की यह अनुमति है कि इस विधेयक को बिना बहस के ही पारित कर दिया जाए तो मैं श्री गोविन्द मेनन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत से बाहर भारतीय नागरिकों के विवाह के बारे में उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत से बाहर भारतीय नागरिकों के विवाह के बारे में उपलब्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, I suggest that the Advocates (Second Amendment) Bill should also be passed without discussion because it has been passed by the Rajya Sabha and I think that this is not a controversial bill.

सभापति महोदय : इस समय हम एक विशिष्ट विधेयक के बारे में विचार कर रहे हैं । अतः इसके उपरान्त ही अन्य विधेयकों के बारे में विचार किया जा सकता है । अब मैं इस विधेयक के सभी खण्डों को सभा को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 30 तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 30 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 30 were added to the Bill.

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची तथा तीसरी अनुसूची, खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री रघुरमैया : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री के सुझाव के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने विरोध प्रकट किया है अतः ऐसा नहीं किया जा सकता ।

बिहार राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में संविधिक संकल्प तथा बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF BIHAR AND BIHAR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Sir, I beg to move : "That the House approves to Proclamation issued by the Vice-President acting as President on 4th July, 1969, under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar," and "That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

We were hopeful that after the mid-term elections in the Bihar State there would be a stable Government. But our hopes could not be fulfilled. After the midterm elections a coalition Government was formed in that State but the same could not survive for long because of the withdrawal of the support by some persons. After this another Government also came in existence in that State but that Government also dissolved after 8-9 days. I am sorry in mention that after the fourth general elections six different Governments came into being and all of them were dissolved one by one. Due to these circumstances all the planning and development programmes in this State have been deteriorated. I feel that the hon. Members would approve the steps taken by the President regarding the proclamation of the ordinance.

The provisions have been made in the Bill that during the period of dissolution of the State Legislature the legislative powers should be delegated to the President. Although it is not a constitutional obligation on the part of the Government to appoint an Advisory Committee under these circumstances yet we have adopted this practice for the help of the President that whenever such powers are delegated to the President an Advisory Board consisting of Members of both the Houses is appointed. This board suggests to the President that such and such legislation should be made for the State concerned.

We have also adopted a new method that all the difficulties and problems relating to the State for which the President rule is announced should be placed before the advisory committee. The hon. Members are well aware of the fact that adequate time cannot be given for discussing all the problems and matters relating to the Bihar State in this House. Therefore, it would be more convenient and proper if these matters are placed before the Advisory Committee by the hon. Members. The hon. Home Minister and the Government can also think over these matters more seriously through this Committee.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, Sir, it is a matter of regret that the President Rule has been imposed on the Bihar State. We want that a popular rule should be brought in Bihar as soon as possible. Previously when a coalition Government was formed in that state it was decided that the number of Ministers would be limited. But the practice followed by that Government was quite different. Even the members against whom the allegations of corruption and the black-marketing were there, they were included in the State Cabinet. It was the reason our party did withdraw its support. I would like to mention here that we are not interested in such sort of the Government in Bihar State. We want that a stable Government should be formed in Bihar and that Government should function according to the decided policies and the programmes.

It is the responsibility of the Congress party and the Samyukta Socialist party to make efforts for forming a Government in the Bihar State. The Government should find a way out to form a stable Government by way of deciding a programme with the consultation of the All India political parties.

May I know from the hon. Minister whether the Governor of the Bihar State or his advisors have visited the area which is badly flooded? Almost one third of the State is flooded these days. It is quite strange that no relief committee has been appointed as yet by the Government. I request the hon. Minister should visit that area where he would find that the people of the State have been living a very lamentable life. I also demand that the present Governor should be changed. An active and healthy Governor should be posted in that State.

Bihar State has been put under the President rule but its Legislative Assembly has not been dissolved as yet. I want to suggest that a consultative Committee consisting of the M.LAs.

of that State should be constituted with the view that the public representatives of that area should be kept in touch of all the departments particularly at the time of the natural calamities like this. I would also request the Government that the announcement to the effect that the taxes and the loans advanced to the people of the flood-affected areas are not to be recovered by the Government should be made immediately. Other relief measures should also be taken and the affected people should be rehabilitated urgently.

I also want to submit that the Chairman of the Statutory Boards and the non-official Chairman of the Industries Corporation should be appointed from the representatives of the public. Under the President rule these posts have been given to the bureaucrats who have been creating great problems to the agriculturists.

Naxalties and anti-national activities have been increasing in Bihar and the police personnel have been demoralised. Government should raise the morale of the police and the anti-national activities should be crushed stringently.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : Mr. Chairman, Sir, I am against the President Rule in Bihar because of the fact that under the President Rule true democratic system is paralysed and the pace of development is retarded. I was pained to ead the Report of the Governor. In this report the Governor has expressed lack of confidence in the people of that State. He has said that 50 persons among the 165 persons whose names have been forwarded to him by the leader of the Congress party are unpredictable.

Besides, it is a fact that more than one crore people of the State are under the grip of heavy floods in Bihar but it is quite strange that the advisers of the Governor have not visited the flood hit areas. No relief works have been undertaken by the Government and all the programmes of development have been retarded. Though, several social workers were prepared to help the authorities but their co-operation has also been not utilised.

In the circumstances, a popular Government must be framed as soon as possible. Congress party is able to form a stable and popular Government in Bihar because it is in majority there.

It is not under the discretion of any Governor to dissolve any Government. We have seen previously that the President rule in Bihar was a total failure. It was nothing but a police rule. The incidents of police atrocities were witnessed frequently and no heed was paid to the genuine problems of the public.

I also want to mention that no purpose will be solved by the delegation of the legislative powers to the President. Under these powers only Bureaucracy will flourish and the transfer and the posting of the officers will be made according to the will of the vested interests. Besides, I am afraid that the democratic system cannot prosper under the Governorship of the man who has been appointed in Bihar. Therefore, I suggest that a man having a full faith in democracy should be posted in the Bihar State as a Governor.

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का भारी विरोध किया गया है क्योंकि इस शासन में जनता को प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जाता है ।

चौथे सामान्य चुनावों के बाद से दल-बदल की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है बिहार में बहुत से विधायकों ने दल-बदल की अनुचित प्रक्रिया को अपनाकर स्थायी सरकार बनने में बाधा डाली है । वस्तुत: सभी राज्यों को इस प्रवृत्ति से हानि हुई है तथा इससे संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली को भारी आघात पहुंचा है ।

महोदय ! सम्भवत: आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि स्वयं कांग्रेस दल के बड़े-बड़े नेताओं , यहां तक कि स्वयं मुख्य मंत्रियों ने बहुत से राज्यों में अन्य दलों के सदस्यों को लालच देकर अपनी ओर तोड़ने का प्रयास किया है । किन्तु बाद में जब इस दल ने देखा कि कुप्रवृत्ति स्वयं उनका ही अहित करने लगी हैं तो उसने इसके विरुद्ध चीख पुकार आरम्भ कर दी ।

क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार कहा था कि हमें सभी गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों को समाप्त करना है ? दल-बदल की प्रक्रिया को रोकने वाले विधेयक को लाने में जो देरी की जा रही है उसके पीछे भी अवश्व ही कोई रहस्य है ।

बिहार विधान सभा को भंग नहीं किया गया जिससे ज्ञात होता है कि वहां पर अभी भी कोई सरकार बनाई जा सकती है । किन्तु यदि ऐसी आशा नहीं है तो विधान सभा को तुरन्त भंग कर देना चाहिये ।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : The primary thing is to form a popular Government in Bihar as early as possible. But it is regretable to note that a stable Government could not have been possible there since 1967 because of defections on large scale. Even during the coalition Government headed by Shri Bhola Shastri the Ministers of the various parties in the coalition Ministry had to face denouncements from their own party members. As a result of these defections no stable and popular Government could be possible and President rule was promulgated, but this is also not free from defects. I want that Government should try to remove these short-comings of the President's rule in Bihar. Amongst them one thing was that two Advisors appointed by the Central Government were not sufficient to handle the work of 30-35 Ministers. Therefore, the number of the advisors should be increased in order to cope with the work. Secondly, three I.C.S. officers who are posted in Bihar are senior to the advisors. But these I.C.S. officers were required to work under the advisors. This has created a heart burning and the administration had to suffer. In these circumstances I urge that either the I.C.S. officers should be transferred to other places so that they may not think themselves to be subordinates or the number of the advisors should be increased.

More members should be absorbed in the Committee being instituted under the Bihar State Legislature Delegation of Powers Bill. All the members of Parliament and 25 or 30 other members of Parliament belonging to other states should be included in this Committee. It would be far better if such a method is followed in case of other states.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The hon. Minister pointed out that the instability was prevalent in the State because of defections. But the question is, who started the process of defections in the country ? I can say that it is the Congress party who could be blamed for the defections in the country.

Secondly, Bihar State has been ignored since independence particularly in the matter of

economic developments. According to the official figures the per capita income of Bihar is the lowest in the Country. The hon. Minister has admitted this fact so many times in this House. The planning and development work in the state is not being done with open mind. I have repeatedly pointed out that there is plenty of natural resources there and Bihar can make rapid progress economically in case the natural resources are utilised. The people of Bihar have demanded that an Atomic Plant should be installed in the state, but Government has not paid attention to this fact, rather this has been ignored.

The northern area of Bihar is more underdeveloped as compared to other parts of Bihar.

Regarding Ashoka Paper Mills, the Government has proposed to shift it to Assam from Darbhanga in Bihar. In this regard I urge the Government not to shift this Mill as it would create economic and developmental repurcussions in the state. Apart from this there as many other hurdles in the way of development of Bihar.

So far as the social and cultural matters are concerned, I want to draw the attention of the Government to the fact that more than fifty percent population of Bihar speak Maithili language. I request the Home Minister that Maithili language should be included in the eighth schedule of the constitution.

The consultative Committee proposed to be instituted by the Government should be given more powers. Four or five members of Parliament should be in control of one particular department and they should be directed to complete a particular thing within a specified period. In this way they will help in running the administration during President rule in the state.

The other parties like S.S.P. should be given an opportunity to form Government in Bihar as the President rule can prove dangerous to the democracy. People can lose faith thinking that Government desires to have dictatorship in Bihar by way of promulgating the President rule there. I therefore, stand to oppose the President's rule in the state.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : In view of the assurances given by the hon. Minister in his speech while moving the motion [there is every possibility of a stable and popular Government being constituted in Bihar in the near future.

There were unprecidented floods in Ganga in Bihar and thousands of cattle had lost their lives, about one third area of the state fell victim of the natural havoc of floods. But the Government has done nothing to save the life and property of the people. It is still disgusting that the Prime Minister has given a very small token grant of Rs. 30,000/- from the National Relief Fund to the Government of Bihar in the face of the disastrous havoc of floods. several poor persons have died of flood in Mohiuddin Nagar and Patori and thousands of houses have collapsed in Monghyr and Purnia in Darbhanga district but adequate relief and rescne works were not made by the Government. Although Government wants to save Assam from the natural disaster of flood but at some places the Bihar-Assam national highways have been breached. Government should construct lateral roads there so as to save the flood hit areas. Members of Parliament and state Assembly belonging to all parties in Bihar have submitted a memorandum to the effect that on the basis of the 1961 census, the census Commissioner of India initiated studies on the levels of regional development in the country, and found out that Saran, Champaran, Muzaffarpur and Darbhanga districts in Bihar of the Country were at the lowest level of development.

In view of the circumstances prevailing in the state I urge the hon. Minister that a popular Government should be formed in Bihar so that the difficulties could be removed. It would be far better if the Members of the state Legislature of the suspended Assembly are included in the Consultative Committee of the Members of Parliament proposed to be set up by the Government. The memorandum and the letter are laid on the Table of the House.

An. hon Member : Has he been permitted to do so ?

Mr. Chairman : Yes, I have allowed him.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The state Assembly has not been dissolved, but it has only been suspended. The Central Government is hopeful of the fact that a stable Government could be formed in the state and the state Assembly could be in a position to run the Government. In view of the fact that the members of the state Assembly are the real representatives of the people of the state and are directly related with them, they should be included in Advisory Committee being proposed to be set up. It has also been suggested that the members of Lok Sabha and Rajya Sabha should also be included in this Advisory Committee. We have no objection to this suggestion, but there must be some reform in the state. I request the hon. Home Minister to consider these suggestions seriously.

It is strange to have experienced in Bihar that only a few members did not defect but whole of the Jan Sangh Party defected from the Coalition Government, because the Jan Sangh party had gone into a political agreement with Congress that both these parties combined together would form Government. But it never happened.

The congress has not been able to form Government in the state. They had told the Congress High Command to have claimed a support of 165 members, but actually 115 members backed the Congress. The result was that Congress could not form Government there. I request the central Government to consider my suggestion that S.S.P. should be given an opportunity to form Government and directions should be issued to the Governor in this regard. We hope the S.S.P. would be successful in running the Government and we would continue to support this party un-conditionally, but only so long as the party did not enter into any pact or agreement with Jan Sangh, because we think Jan Sangh played very henious role in the sad and fatal incidents of Ranchi, Hatia and Sursaud. We do not want this party to come into power in the state so that much tragic incidents may happen again.

The other thing is, the Western Kosi Canal scheme is being deliberately ignored by the Government on the protest that the Nepal Government was creating hurdles. But I can say that the Nepal Government should not be blamed for this. Only our Government is responsible for ignoring this scheme. Therefore, I urge the hon. Minister to accept the reasonable demands of Nepal Government and provision should immediately be made to start the work of the canal.

The Administration under the Governor of Bihar has made a blunder when they took the decision of shifting Ashoka Paper Mills from Bihar to Assam. A caretaker Government has no right to take decision of such a great importance. The Mill should not be allowed to be shifted from Bihar what soever the circumstances may be.

Mr. Chairman : Hon. Member may conclude now.

Shri Bhogendra Jha : I will take only two minutes to conclude. The flood affected areas of Bihar State are in great need of financial help. Assistance on large scale should be given to Bihar. Loans should also be advanced to that state, otherwise the prospects of the next crop will also be ruined. Another point which I would like to underline is that Ayyar Co-

commission is going to complete its work. Its report is nearly complete and is going to be published very soon. I am of the opinion that all those found guilty in findings of the commission should be penalised. I am afraid that under the present Governor or the new Governor, if appointed, the persons shall not be brought to book and shall go scot free. The Minister should assume us that Government should take such action as necessary against the guilty persons.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Mr. Chairman, I rise to support the Bihar State Legislature Delegation of Powers Bill, 1969. With this I would like to remined the Home Minister that he once gave assurance in a meeting of Members of Parliament that popular Government will be set up soon in Bihar. So I request him that he should allow the Congress party to form Government there. Secondly I wish that the development work going on in Bihar State should not be retarded whatever form of Government is there. People of Bihar should not suffer. They should not be put to trouble. They should get justice.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : Mr. Chairman, I oppose the Presidential rule in Bihar. With this I demand that popular Government be established in Bihar. Why did the Central Government not allow the S.S.P., the biggest party in the opposition, to form the government in the state.

People are loosing faith in the democratic system of government, because there is no stability in governments. Governments are falling one after another. Who is responsible for this state of affairs. I say that it is the Congress party. It is that party which first of all practised defection. Now it wants either the rule of President or the government of the Congress in Bihar. Stable governments can again be established provided we pass a law, which would put a stop to defection.

Now there is Presidential rule in Bihar, under which the bureaucratic government is fully established. Bureaucrats are running the government arbitrarily. They have reduced the quota of raw material etc., for gun industry in Monghyr district. Another example of there bureaucratism is that more than one flat are being allotted in one name in one and the same colony. In some other cases one man is being allotted several flats in different colonies.

While concluding I again ask the government to invite S.S.P. to form popular government in Bihar.

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : I am pained to say that an extraordinary situation now prevails in Bihar. On the one hand there is Rule of President and on the other the Legislative Assembly of the State has not been dissolved. It remains, suspended. This is a kind of suspence in which people of Bihar are living. It is not good.

We are not in favour of Shri Nityanand Kanungo. Yet we think that it is not proper to put the blame on any Governor. There was no other alternative but to suspend the Legislative Assembly during the imposition of the Rule of President. In the public interest I advise the congressmen to form popular government in Bihar in coalition with S.S.P. and P.S.P. This will be a government of national type. I do not want that the state of suspence should prolong. Either a popular government should be formed there or the Legislative Assembly should be dissolved.

Shri Sitaram Kesari (Katihar) : Mr. Chairman, I would like to point out the propriety of the imposition of the Presidential rule in Bihar. There is no unity in opposition parties.

First of all the U.F. government came into power. But it could not run the administration properly. They created a problem of law and order in the State. In such a state of affairs the U.F. government fell down. Thereafter, the Socialist government came into power and they also met the same fate. In the circumstances the Central Government took this decision and introduced the Rule of President in Bihar State.

Shri Himatsingka (Godda): Mr. Chairman, There is no single party in the state Legislative Assembly as can form government independently or in coalition with other parties. There are more than 15 parties. They are not in a position to make successful coalition, because every body wants to be a Ministers in the Council of Ministers. Viewing from this prospective it appears to be proper to have the Rule of President in Bihar. Now the corruption is rampant in officers, who are running the administration . Some good officials should be sent there. The Advisory Committee likely to be constituted for Bihar should comprise of more members including M.L.As. and M.L.Cs. of the State.

Dr. Surya Prakash Puri (Nawada) : Mr. Chairman, last consultative committee gave some suggestions. In that connection the Home Minister wrote in a letter to me that elections for Gram Panchayats and Municipalities would be held during March this year. But nothing has so far been done in that direction. It is our misfortune that both the governments formed after the fresh election fell down. Now there is no single party in Bihar which can form a stable government in the state, whether it is the Congress or the S.S.P.

It had been our experience that the advice given by the Consultative Committee was never accepted by government in the past. Hence there will be no utility of the consultative Committee proposed to be set up. So I suggest that instead of having such an ineffective committee, it will be better to retain two Advisors sent there by the Home Ministry. Steps should be taken so that elections for gram panchayats and municipalities may be held soon in the state.

The present governor of Bihar should be removed from his office with in a fortnight as he is responsible for creating the explosive situation in the state. Otherwise things may turn to worse.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Chairman, it is regretable that there is President's rule in Bihar state, through the people of Bihar have full faith in democracy. Now there are fifteen parties in the state, and this is the reason that none of them is in a position to form stable government. So first of all proper conditions for democracy should be created in the country. For it we should have only three parties Right, Left and Middle instead of having a large number of parties.

There are heavy floods in Bihar. The people of the state are hard hit by flood. So government should give them as much help as possible. As regards the consultative committee I would like to suggests that the number of members of it should be increased. The number of Advisors should also be raised from two to four.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं वैसे तो हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाया है । दुर्भाग्य से बिहार में हम स्थिर जन तांत्रिक सरकार बनाने में असफल रहे हैं । जो जनतांत्रिक सरकारें बनी भी, उनसे सामान्यत: उतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिये था । साथ ही मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश में मिली जुली सरकारें भी सफल नहीं हुई हैं । ऐसी सरकारों से देश को बड़ी हानि हुई है । लोकतांत्रिक

सरकारों ने भी अलोकतंत्रीय ढंग से काम किया है। बिहार में 1947 में तो लोकतांत्रिक सरकार थी। उसने आदिवासियों की भूमि को अन्य लोगों को अवैध रूप से दे दिया था। लोकतांत्रिक सरकार की भी काम करने की ऐसी पद्धति रही है।

मैं श्री विभूति मिश्र के इस विचार से सहमत हूं कि देश में कांग्रेस, अनुदार दल और साम्यवादी दल होने चाहियें। यदि हम देश में लोकतंत्रात्मक प्रणाली रखना चाहते हैं तो इसका केवल यही एक मात्र हल है। सब दलों के सदस्य अपने कर्तव्यों को भूल गये हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और नारे लगाते हैं। विधायकों को याद दिलाना चाहिये कि वे अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार में मिली जुली सरकार नहीं बनाई जा सकती। अतः उन्हें इसके लिये प्रयास नहीं करने चाहिये।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The Hon. Members are well aware of the circumstances under which President's rule has to be imposed on Bihar. It was hoped that after sometime there would be inprovement in Bihar's situation, but as the time passes its situation became more and more difficult. Taking this into account it was thought necessary to keep Bihar under President's rule for some more time. As soon as we feel that a state Government can be formed there, we will not hesitate in establishing it.

It is a well known fact that people can not get so much relief in President's rule as in a popular Government. From all point of view it is proper that President's rule should be abolished in all states. I think that the policy is also applicable in the case of Bihar.

All efforts will be made to solve the local problems of the people of Bihar.

Government do not want to dissolve the Legislative Assembly formed after the las midterm election. I will therefore, request the hon. Members to create such atmosphere that a popular Government may be formed in Bihar and the necessity to accept such a Bill in future may not arise. I hope that taking all these things into consideration the hon. Members will pass this Bill unanimously.

Shri Kanwar Lal Gupta : Nearly one third of Bihar is under floods. But no relief Committee has been formed there. Neither the Governor has visited the flood affected areas of Bihar.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already explained that a lot of work has been done for the flood affected people. Appropriate directions will be issued to the advisers to visit the flood affected areas.

Shri Bhogendra Jha : It has been decided by the governor to shift the Ashoka Paper Mills from Bihar. I want to know whether the hon. Minister will ask them to postpone the decision as this can be done only by the duly elected government of the people and not by the caretaker Government of the state ?

Shri Vidya Charan Shukla : Under the constitution we can only consult the Members of Parliament during the President's rule under the prevailing circumstances we can not consult the Members of the legislation. But the Governor has full right to consult them and we will be happy if he consults them. But legally and constitutionally it is not possible to include the members of the State Legislature in the the Advisory Committee of Parliament.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य के

सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छद 356 के अधीन 4 जुलाई, 1969 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि बिहार राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी ।

खण्ड 2 के बारे में कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है ।

अत: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 3 के बारे में अनेक संशोधनों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन प्रस्तुत न करें क्योंकि सदस्यगण देश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के लिये उत्सुक हैं । अत: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये । "

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब बाढ़ की स्थिति पर चर्चा आरम्भ की जायेगी ।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : As the wakfs Bill is a non-controversial one it may be taken up first.

Mr. Chairman : How can we take it up against the wishes of Members ?

डा० सूर्य प्रकाश पुरी (नवांदा) : सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस विधेयक के पश्चात् बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा । अतः उसी को अब लिया जाना चाहिये ।

बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति तथा राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : SITUATION CAUSED BY FLOODS AND FORMATION OF NATIONAL GRIDS.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

> "कि सभा देश के विभिन्न नदियों में वार्षिक बाढ़ों से हो रही जन धन की हानि पर विचार करती है और सरकार से सिफारिश करती है कि देश की नदियों के लिये दो राष्ट्रीय ग्रिड--एक गंगा की घाटी के लिये और दूसरा दक्षिणी प्रायद्वीप के लिये--बनाने की आर्थिक और तकनीकी सम्भाव्यता पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाये ।"

आजकल देश के विभिन्न भागों में बाढ़ आई हुई है । इन से जान और माल की जितनी हानि होती है उस बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । चाहे देश का उत्तरी भाग हो अथवा दक्षिणी, लोगों को बाढ़ के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं । कष्ट देश के सभी लोगों के लिये समान हैं । अतः मैं इन दुखों के बारे में नहीं बल्कि सरकार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

मैं इस बात से सरकार से सहमत हूं कि बाढों को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता परन्तु फिर भी इसकी भीषणता कम अवश्य की जा सकती है । अतः मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करने के लिये प्रयास किये गये हैं अथवा नहीं ।

सरकार ने समय-समय पर अनेक आयोग तथा समितियां नियुक्त की हैं और इन आयोगों तथा समितियों ने अनेक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये हैं । परन्तु इन पर अमल नहीं किया गया है । यदि इन आयोगों तथा समितियों की सिफारिशों तथा सुझाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो इनके गठन का कोई लाभ नहीं है ।

बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार का एक बहुत बृहद् योजना बनाने का प्रस्ताव था । परन्तु धन के अभाव के कारण यह योजना नहीं बनाई गई है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : केवल आधा घंटा शेष है । अतः सदस्य गण उचित रूप से इस चर्चा पर भाग नहीं ले सकगे । मेरा निवेदन है कि इस चर्चा को आगामी साल तक स्थगित कर दिया जाये ।

सभापति महोदय : यदि आप लोग सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : बाढ़ों सम्बन्धी एक उच्च स्तरीय आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार बाढ़ से आसाम में प्रति व्यक्ति सब से अधिक हानि होती है। देश में बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की हानि होती है। उच्च स्तरीय आयोग के प्रतिवेदन में एक बात पर जोर दिया गया है....

सभापति महोदय : सभा छः बजे स्थगित हो जायेगी। अतः आप अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री हेम बरुआ : यदि चर्चा आधे घंटे तक सीमित कर दी गई है तो इसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

आसाम में जब बाढ़ के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई थी तब मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न और ध्यानाकर्षण सूचना भी दी थी लेकिन उन पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। आसाम राज्य की हमेशा उपेक्षा की गई है।

बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजकोष को बहुत हानि हुई है। आसाम में साधारण बाढ़ों से कृषि भूमि को 5 प्रतिशत और असाधारण बाढ़ों से 10 प्रतिशत क्षति होती है। भू-कटाव के परिणामस्वरूप 50,000 एकड़ भूमि, जिसकी कीमत 1.50 करोड़ रुपये है, बह गई है। जिसके परिणामस्वरूप आसाम राजकोष को प्रतिवर्ष 7.7 करोड़ रुपये की हानि होती है। धुबड़ी कस्बे में भी भू-कटाव हो रहा है। इस ओर मैंने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि आसाम सरकार के इंजीनियर ने उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी कि धुबड़ी कस्बे में भू-कटाव होता है। बाढ़ के कारण डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी का स्तर 10 फुट और अन्य स्थानों पर 18 फुट तक बढ़ गया था बाढ़ के कारण नदियों में गाद जम जाता है। अतः मिट्टी निकालने के लिये लगातार कार्यवाही की जानी चाहिये।

आसाम में अवरोधन बांधों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? अन्य राज्यों के लिये बहु-प्रयोजनीय योजनायें बनाई गई हैं लेकिन आसाम में राज्य के लिये एक भी बहु-प्रयोजनीय योजना नहीं बनाई गई है।

सिंचाई और विद्युत् कार्यक्रम बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिये। सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। आसाम के लोगों के लिये सरकार की ओर से जो कुछ किया जाना आवश्यक था, वह नहीं किया गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

आसाम राज्य में लोगों की खेती बरबाद होती है, उनका जीवन बरबाद होता है। जब कभी इस विषय पर सभा में प्रश्न उठाया जाता है तो मंत्री महोदय इस प्रश्न को यह कह कर टाल देते हैं कि यह वहां के लिये एक साधारण सी बात है। इस राज्य की इस प्रकार उपेक्षा की जा रही है।

सरकार को इस बारे में जागरूक होना चाहिये और इसे चाहिये कि वह अपने द्वारा नियुक्त विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करें ताकि बाढ़ों से क्षति न्यूनतम हो।

श्री सेझियान : (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं --

> "कि यह सभा देश के कुछ भागों में सूखे द्वारा हुये विनाश पर विचार करती है और सरकार से सिफारिश करती है कि देवी प्रकोप की ऐसी स्थितियों का सामना करने हेतु प्रभावी उपायों का सुझाव देने के लिये तथा देश में जल संसाधनों के बेहतर और पूरे उपयोग के लिये योजना तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाये ।

तमिलानाडु और अन्य स्थानों में पानी की कमी के कारण बहुत कठिनाई हो रही है । वर्षा के न होने के कारण नदियों में पानी का स्तर गिर गया है । ग्रामवासियों को वर्षा न होने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । लोगो को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है । तमिलनाडु को भयानक सूखे का सामना करना पड़ रहा है । इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1968–69 में धान के उत्पादन में लगभग 12 लाख टन की कमी हो जायेगी । केवल तमिलनाडु के किसानो को इससे लगभग 100 करोड़ रुपये की हानि हुई है ।

तमिलानाडु सरकार ने लगभग 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और केन्द्रीय सरकार से 7.5 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त किया गया है । सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये एक योजना तैयार की है, जिस पर 41 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान है । चालू वर्ष में नो राज्यों में 1.50 करोड़ व्यक्ति सूखे की स्थिति से प्रभावित हुये । हमें अनुदानों पर निर्भर रहने की आदत छोड़ कर प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिये स्थायी उपाय ढूंढने चाहियें । हमारा उद्देश्य बाढ़ों पर नियंत्रण रखना और सूखे की स्थिति से निपटने का होना चाहिये ।

पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण के लिये 144 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे । बाढ़ों के कारण वर्ष 1967 में 127 करोड़, वर्ष 1968 में 166 करोड़ और वर्ष 1969 में 138 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

बाढ़ो के कारण देश को इतनी अधिक क्षति होती है अत: सरकार को बाढ़ों को रोकने और सूखे का मुकाबला करने के लिये उचित उपाय करने चाहिय । ऐसी नदियों को जिनमें बाढ़ आती है सूखी नदियों से जोड़कर बाढ़ को रोका जा सकता है । डा० राव ने सुझाव दिया था कि बाढ़ों को रोकने के लिये हमें लगभग 2,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । इतना रुपया एक बार में उपलब्ध नहीं हो सकता । एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने के बारे में हमें व्यवस्थित कार्यक्रम बनाना चाहिये ।

कुओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता क्योंकि तमिलनाडु में हम बहुत से क्षेत्रों में तालाबों और सिचाई तालाबों पर निर्भर रहते आये हैं और वहां पर हम देखते हैं कि पानी का स्तर घट रहा है । जब तक हम अपने जल संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे यह समस्या हल नहीं होगी । देश के सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कृषि विकास कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहियें । पूर्व

जर्मनी से आये दो अनुभवी विशेषज्ञों ने, जिन्होने सात राज्यों में सूखा-पीड़ित-क्षेत्रों का दौरा किया था, यह विचार व्यक्त किये थे कि देश में पांच वर्षों की अवधि में सूखे का पूरी तौर से उन्मूलन किया जा सकता है । उन्होने कहा है कि इस सम्बन्ध में पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है । हम केवल सूखे के लक्षणों का उपचार कर रहे हैं उसके मूल कारणों का नहीं यदि हम उन पर नियंत्रण करने में असफल रहे तो सूखा और बाढ़ों को नहीं रोका जा सकेगा । चीन, रूस अमेरिका और जापान को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था लेकिन उन देशों ने आधुनिक तकनीकी विकास के उपायों का उपयोग करके इन कठिनाइयों को दूर किया । हमें अब भूमिगत जल का उपयोग करने और नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के सम्बन्ध में एक बृहद् योजना बनानी चाहिये ।

सभापति महोदय : अब दोनो प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : As it has now become an annual feature and there are floods every year, this government should have taken adequate measures to meet such a situation. Apparently government have not chalked out any comprehensive plan to give relief to the affected people. There is President's rule in Bihar but no relief measures have been taken. Government should have provided alternate land to the people of the area which faces floods every year. These people should be resettled on a land of higher level. May I know the reaction of the government with reagard to this proposal ?

In certain districts floods can not be checked totally but their havac can be mitigated. Had the Gandak Channel been constructed, their would have been alternative channel which could have been used as outlet for surplus water. This would certainly have mitigated the fury of floods.

In the absence of popular Government sufficient relief has not been given to the flood affected people. I want to know the amount of assistance given by the Central Government for relief measures ; whether any cabinet Minister has visited the affected areas and the progress made in the relief work ? I have come to know that relief provided so far is inadequate and moreover it has not been given to all the people. The Government should look into this matter and Gandak Channel should be completed as soon as possible.

Shri Meetha Lal Meena (Sawal Madhopur): It has become a usual phenomena to deliver speeches and set up committees whenever flood situation is discussed in the House. But there is not a single instance where the floods have been checked by the measures taken by the Government. There has been popular demand that a separate permanent fund may be created out of which grants should be given to the flood affected areas immediately. Besides this, a Relief Society should also be constituted. But the Government have not paid any attention.

Rajasthan has suffered huge loss due to drought and floods. In order to face the situation likely to be created by drought there has been constant demand to get the Rajasthan Canal expedited but the Government have not paid any attention towards this unanimous and popular demand. There is great shortage of drinking water also in the State.

There were floods in Rajasthan last year as well as this year. Sawai Madhopur had also to face the fury of floods last year as well as this year but Government have given assistance of Rs. 10/- per family which is quite negligible. Social organisations helped them a lot but Government had made no arrangements. I request the hon'ble Minister to provide separate

funds for giving relief to Sawai Madhopur. It is not proper for the State Government to expend the entire amount of relief sanctioned by the Centre for Bharatpur and Bikaner only and ignore Sawai Madhopur.

The Government had given assurances that Harijan would be given lands on higher level but they have not been materialised as yet. I request the Government to give assistance for the repair of tanks which have been damaged by floods. This area is declared backward area but central Government have not provided any assistance for its development. In addition to big dams, small dams should also be constructed and they should be connected with the canals so that such a situation could be controlled.

चीनी पर से नियंत्रण हटाने के बार में 28 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर में वृद्धि

Correction of Answer to S. Q. No. 784 dated 28th August, 1969 re. Decontrol of Sugar.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : 28 अगस्त, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 784 के सदन में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में श्री वी० कृष्णामूर्ति द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के दौरान मैंने यह कहा था कि गन्ने के न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य देने की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती और कोई भी उसके लिये अनुमति नहीं दे सकता तथ्य इस प्रकार है :--

जुलाई, 1969 के प्रथम सप्ताह में अर्थात् पेराई मौसम के अन्त में तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक विशेष अभ्यावेदन दिया था कि राज्य के कुछ चीनी कारखानो के क्षेत्र में कुछ अपंजीकृत गन्ना पड़ा हुआ था जो कि सूख रहा था और चीनी कारखाने गन्ने की चल रही दर पर उसे पेरने के लिये तैयार नहीं थे क्योंकि उसमें से बहुत कम चीनी की उपलब्धि होने की सम्भावना थी राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया था कि उन्हें गन्ने के न्यूनतम मूल्य में छूट देने की अनुमति दी जाय राज्य सहकार ने यह भी सूचित किया था कि गन्ना उत्पादक गन्ने को बेचने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को इस विशेष शर्त पर मान लिया था कि इस सम्बन्ध में गन्ना उत्पादकों और चीनी कारखानों के बीच एक समझौता होना चाहिए और ऐसे गन्ने से चीनी की उपलब्धि में अनुमानित कमी के सन्दर्भ में छूट का हिसाब लगाया जाना चाहिये। भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 1813/एस० काम०/शुगरकेन दिनांक 4 अक्तूबर, 1968 में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, राज्य सरकार अथवा कोई अधिकारी या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के प्राधिकारी किसी वैध कारण पर, जिनका उल्लेख उक्त सरकारी, अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, न्यूनतम मूल्य में उचित छूट देने की अनुमति दे सकते हैं।

बाढ़ और सुखे से उत्पन्न स्थिति तथा राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के बारे में प्रस्ताव -

Motion re. situation caused by Flood and Droughts and formation of National Grids—contd.

Shri Shiv Narain (Basti) : We have been raising the question of control of Ghagra river for the last seven years No heed is being paid to this question. It is resulting in

untold miseries to the people of Uttar Pradesh, Bihar and Bengal. The Members belonging to the other side of the House do not have any interest in the welfare of the people. They play their own game. If the floods in Ghagra and Sarjoo rivers are controlled, only four districts can produce rice which will be sufficient for whole of India.

The Minister of Irrigation is an expert in his sphere. He should see to the Welfare of our area. Timely arrangements for irrigation facilities should be made and floods should be controlled. Immediate medical relief should also be given to our area since it is badly affected by malaria.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Since 1947 not a single year has passed in which the floods have not caused heavy losses. I would like to know whether the Ministry of Irrigation has got any statistics regarding extent of loss due to floods in different States during the last 22 years. If half of that amount had been spent on embarakment and control of rivers, the flood problem would have been solved long ago. The Minister of Irrigation should report this House every year regarding the progress made in this direction.

It is unfortunate that there is no co-ordination between Ministry of Irrigation and Power and other ministeries in this connection. The embarkments on the rivers can be used for railway trades or roads.

There have been a large number of floods in Western districts of Uttar Pradesh during last 20 or 22 years. The district of Moradabad, Bdaayun, Bulandshaher and Meerut are badly affected. A scheme for complete control of floods within five, ten or fifteen years should be formulated and presented before Parliament.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : Floods and storms hit this country every year. Even if 25 percent of the amount of damage done by such storms and floods is spent on flood control, we can avoid such damage. Large amounts are spent on useless things and it is pleaded that the Government does not have funds for flood control schemes.

When river Ganga changes her course, the land on one bank is eroded and land is formed on the other bank. It is strange that neither the Central Government nor the State Governments have formulated any laws regarding the ownership of such land. The Government should consider this question.

Mr. Chairman : The House now stands adjounred sine die.

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned Sine die.